Bureau of Energy Efficiency
Ministry of Power, Government of India

Ceiling Fan

Short Title	Clause of EC Act, 2001	Notification/ Regulation/ Amendment & Date	Reference IS/ IEC Standards
Amendment –I 14a	14a	S.O. 3471(E) dated 14th August, 2024	IS 374 (With all Amendments)
Superseding Notification 14a &14b	14a &14b	S.O. 246(E) dated 17th January, 2024	
Principal Notification	14d	No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2019-20 dated 19th May, 2022	
	14a	S.O. 2210(E) dated 12th May, 2022	
	14b	S.O. 2211(E) dated 12th May, 2022	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082024-256471
CG-DL-E-17082024-256471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3155] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946
No. 3155] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

का.आ. 3471(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 246 (अ) तारीख 17 जनवरी, 2024 का निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा क के उप-पैरा II के खंड (3) में, सारणी में, जहां कहीं भी "2024" अंक आते हैं, उनके स्थान पर "2025" अंक रखे जाएंगे।

(i) उपखंड (क) में, सारणी 3.1 के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्-

"सारणी – 3.1(क)

(1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक विधिमान्य)

स्टार स्तर	रेटेड सर्विस मान (घन मीटर प्रति मिनट/वाट)
1 स्टार*	≥ 2.0 से < 2.5
2 स्टार**	≥ 2.5 से < 3.0
3 स्टार***	≥ 3.0 से < 3.5
4 स्टार****	≥ 3.5 से 4.0
5 स्टार *****	≥ 4.0"

(ii) उपखंड (ख) में, सारणी 3.2 के पश्चात्, निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी 3.2(ख)

(1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक विधिमान्य)

स्टार स्तर	रेटेड सर्विस मान (घन मीटर प्रति मिनट/वाट)
1 स्टार*	≥ 3.6 से < 4.1
2 स्टार**	≥ 4.1 से < 4.6
3 स्टार***	≥ 4.6 से < 5.1
4 स्टार****	≥ 5.1 से < 5.6
5 स्टार*****	≥ 5.6”

(iii) उपखंड (ग) में, सारणी 3.3 के पश्चात् निम्नलिखित सारणी अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“सारणी 3.3(ग)

(1 जनवरी, 2026 से 31 दिसंबर, 2028 तक विधिमान्य)

स्टार स्तर	रेटेड सर्विस मान (घन मीटर प्रति मिनट/वाट)
1 स्टार*	≥ 4.5 से < 5.0
2 स्टार**	≥ 5.0 से < 5.5
3 स्टार***	≥ 5.5 से < 6.0
4 स्टार****	≥ 6.0 से < 6.5
5 स्टार*****	≥ 6.5”

[फा. सं. 10/1/2021- ई.सी.]

धीरज कुमार श्रीवास्तव, मुख्य अभियन्ता

टिप्पण:- मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.246 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

S.O. 3471(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 246(E), dated 17th January, 2024, namely:-

In the said notification, in paragraph A, in sub-paragraph II, in clause (3), in Tables, for the figures “2024”, wherever they occur, the figures “2025” shall be substituted.

(i) in sub - clause (a), after Table 3.1, the following Table shall be inserted, namely. -

"Table – 3.1(a)

(Valid from 1st January 2026 to 31st December, 2028)

Star Levels	Rated Service Value (Cubic meter per minute/Watt)
1 Star*	≥ 2.0 to < 2.5
2 Star**	≥ 2.5 to < 3.0
3 Star***	≥ 3.0 to < 3.5
4 Star****	≥ 3.5 to 4.0
5 Star*****	≥ 4.0"

(ii) in sub - clause (b), after Table 3.2, the following Table shall be inserted, namely.-

"Table 3.2(b)

(Valid from 1st January, 2026 to 31st December, 2028)

Star Levels	Rated Service Value (Cubic meter per minute/Watt)
1 Star*	≥ 3.6 to < 4.1
2 Star**	≥ 4.1 to < 4.6
3 Star***	≥ 4.6 to < 5.1
4 Star****	≥ 5.1 to < 5.6
5 Star*****	≥ 5.6"

(iii) in sub - clause (c), after Table 3.3, the following Table shall be inserted, namely.-

"Table 3.3(c)

(Valid from 1st January, 2026 to 31st December, 2028)

Star Levels	Rated Service Value (Cubic meter per minute/Watt)
1 Star*	≥ 4.5 to < 5.0
2 Star**	≥ 5.0 to < 5.5
3 Star***	≥ 5.5 to < 6.0
4 Star****	≥ 6.0 to < 6.5
5 Star*****	≥ 6.5"

[F.No. 10/1/2021- EC]

DHIRAJ KUMAR SRIVASTAVA, Chief Engineer

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 246(E), dated 17th January, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012024-251464
CG-DL-E-18012024-251464

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2024/पौष 28, 1945
No. 237]	NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2024/PAUSHA 28, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2024

का.आ. 246(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क), (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 12 मई 2022 की संख्या का.आ. 2210(अ) द्वारा और तारीख 12 मई, 2023 की संख्या का.आ. 2211(अ) द्वारा प्रकाशित, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से बिजली के छत पंखे के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानक विनिर्दिष्ट करती है और सामानों या उपस्करों जैसा भी मामला हो, की श्रेणी के ऐसे सामान या उपस्कर को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

क. स्टार लेवल वाले बिजली के छत पंखे के लिए ऊर्जा खपत मानक, अर्थात:

I. आईएस 374:2019 समय-समय पर यथा संशोधित के दायरे के अंतर्गत शामिल सभी मानक स्वीप आकारों के इंडक्शन मोटर और ब्रेसलेस इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चालित प्रत्येक इलेक्ट्रिक सीलिंग फैन जो 250 वोल्ट, 50 हार्ट्ज तक की सिंगल फेस अल्टरनेटिंग करेंट आपूर्ति पर कार्य करता है, जिसे भारत में विनिर्मित, वाणिज्यिक रूप से खरीद, आयातित या बेचा जा रहा है, निम्न का पालन करेगा:-

(क) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 374:2019 के पैरा 9 और समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 302 (भाग 2/खंड 80) के पैरा 8 से 32 से संबंधित संशोधनों के अधीन दी गयी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना।

(ख) समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 374:2019 में यथा विनिर्दिष्ट सभी निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करना।

(ग) या तो भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाणन चिन्ह होना या विनिर्माता आईएस/आईएसओ 9000 या उससे अधिक के अनुसार प्रमाणीकृत हो।

II. स्टार रेटिंग या स्टार लेवल योजना - (1) प्रत्येक बिजली के छत पंखे पर लगाए जाने वाला लेवल एक स्टार के अंतराल के साथ अधिक पांच स्टार को प्रदर्शित करेगा और पंखे को उसकी सर्विस वैल्यू के आधार पर 1 स्टार से स्टार 5 तक उसके निष्पादन के लिए रेट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक बिजली के छत पंखे में ऊर्जा खपत मानक दर्शाए जाएंगे जो उक्त पैरा (क) के खंड I के उपखंड (क) में यथा निर्धारित निष्पादन अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(3) बिजली के छत पंखे का स्टार स्तर निम्नलिखित सारणी में यथा प्रदत्त ढंग से निर्धारित किया जाएगा। अर्थात:-

(क) 600 एमएम से अधिक या उसके बराबर और 750 एमएम से कम या उसके बराबर स्वीप आकार के बिजली के छत पंखे के लिए स्टार स्तर को सारणी में 3.1 के प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

सारणी – 3.1

(प्रकाशन की तारीख से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध)

स्टार स्तर	**रेटेट सर्विस वैल्यू** **(घन मीटर प्रति मिनट/वाट)**
1 स्टार *	≥ 1.5 से < 2.0
2 स्टार **	≥ 2.0 से < 2.5
3 स्टार ***	≥ 2.5 से < 3.0
4 स्टार ****	≥ 3.0 से < 3.5
5 स्टार *****	≥ 3.5

(ख) 750 एमएम से अधिक और 1050 एमएम से कम या उसके बराबर स्वीप आकार के बिजली के छत पंखे के लिए स्टार स्तर को सारणी 3.2 के प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

सारणी - 3.2

(प्रकाशन की तारीख से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध)

स्टार स्तर	**रेटेट सर्विस वैल्यू** **(घन मीटर प्रति मिनट/वाट)**
1 स्टार *	≥ 3.1 से < 3.6
2 स्टार **	≥ 3.6 से < 4.1
3 स्टार ***	≥ 4.1 से < 4.6
4 स्टार ****	≥ 4.6 से < 5.1
5 स्टार *****	≥ 5.1

(ग) 1050 एमएम से अधिक और 1500 एमएम से कम या उसके बराबर स्वीप आकार के बिजली के सीलिंग पंखे के लिए स्टार स्तर को सारणी 3.3 के प्रयोग करते हुए निर्धारित किया जाएगा।

सारणी - 3.3

(प्रकाशन की तारीख से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध)

स्टार स्तर	**रेटेट सर्विस वैल्यू (घन मीटर प्रति मिनट/वाट)**
1 स्टार *	≥ 4.0 से < 4.5
2 स्टार **	≥ 4.5 से < 5.0
3 स्टार ***	≥ 5.0 से < 5.5
4 स्टार ****	≥ 5.5 से < 6.0
5 स्टार *****	≥ 6.0

(4) का.आ. 2210 (अ) तारीख 12 मई, 2022 के अधीन अनुमोदित बिजली के छत पंखे के सभी मॉडल 31 दिसंबर, 2024 तक वैध रहेंगे।

(5) स्टार स्तर योजना की सारणी 3.1, 3.2 और 3.3 में प्रदत्त अवधि से समाप्त होने से पहले समीक्षा की जाएगी।

III. परीक्षण और सहनशीलता – (1) स्टार स्तर निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ बिजली के छत पंखे का सारणी 4.1 में दिए गए मानकों के अनुसार परीक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

सारणी 4.1

क्र.सं.	परीक्षण मानदंड	परीक्षण मानक
1	सुरक्षा अपेक्षाएं खण्ड 8 से 32	भारतीय मानक 302 (भाग 2/ खंड 80) समय-समय पर यथा संशोधित
2	शुरू होने की विशेषताएं (खंड 11)	आईएस 374:2019 समय-समय पर यथा संशोधित
3	अंतर परिवर्तनीयता (खंड 12)	
4	गति का मापन (खंड 14.4)	
5	विद्युत कारक और विद्युत इनपुट का मापन(खंड 14.5)	
6	निष्पादन अपेक्षाएं- हवा देना (खंड 15)	
7	खंड 16 के संदर्भ में मजबूती	

(2) नमूनों की संख्या समय-सयम पर यथा संशोधित आईएस 374:2019 के पैरा 18 के अनुसार दो होगी, यदि कोई हो।

(3) स्टार रेटिंग स्तरों के लिए कोई ऋणात्मक सहनशीलता नहीं होगी।

(4) विनिर्माण सहनशीलता और अन्य अंतरों का दायरा पूर्ण अंक बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्टार रेटिंग निर्धारित करते समय विनिर्माता द्वारा लेखांकित किया जाएगा-

(क) विद्युत खपत (वाट), हवा देने (घन मी./मिनट), सर्विस वैल्यू (घन मी./मिनट/वाट) के मान को एक दशमलव स्थान तक निकटतम पूर्णांक तक पूर्ण किया जाएगा।

(ख) सभी मूल्यों को समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 2:1960 के अनुसार संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ों तक पूर्ण बनाया जाएगा।

(5) विद्युत कारक की सहनशीलता सीमा और पंखे की गति समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 374:2019 के उप पैरा 15.2 के अनुसार होगी और विद्युत इनपुट की सहनशीलता समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 302-2-80 के उप पैरा 10.1 के अनुसार होगी।

IV. परीक्षण रिपोर्ट: जांच किए गए नमूनों के परिणामों को उपाबंध (क) में दिए गए प्रपत्र में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ख). घरेलू तथा सामान्य प्रयोजनों के लिए 600 एमएम से 1500 एमएम तक के स्वीप आकारों के साथ 250 वाट, 50 हाट्‌र्ज तक और उनके सहित बिजली के छत पंखों के संबंध में यह निदेश है कि ऐसे किसी उपकरण या उपकरण की श्रेणी को विनिर्मित या बेचा या खरीदा या बिक्री के लिए आयातित किए जाने पर लेवल में उस रीति से विवरण को प्रदर्शित किया जाएगा जैसा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बिजली के छत पंखे के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2022 में विनिर्दिष्ट है।

2. (1) इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ इस प्रकार है:-

(क) ''हवा देना'' विनिर्दिष्ट दशाओं में किसी दिए गए समय पर दी गई हवा की मात्रा है। इसे घन मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया गया है ।

(ख) ''बिजली के छत पंखे'' से प्रापेलर ब्लेडेड पंखा से एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चालित दो या उससे अधिक पंखुडियां हो और जिसे कमरे की छत से जोड़ने के लिए एक यंत्र दिया गया हो ताकि पंखुडियां क्षैतिज रूप से घूमे, अभिप्रेत है ।

(ग) ''रेटेड एयर डिलीवरी'' विनिर्माता द्वारा निर्धारित पंखे की एयर डिलीवरी है।

(घ) ''रेटेड पावर इनपुट'' विनिर्माता द्वारा पंखे को प्रदत्त पावर इनपुट है जो उस पर अंकित होता और इसे वाट में व्यक्त किया जाता है।

(ड.) ''सर्विस वैल्यू'' से वोल्टेज में वाट के रूप में और परीक्षण में विनिर्दिष्ट आवृत्ति में फैन को विद्युत के इनपुट द्वारा विभाजित घन मीटर प्रति मिनट में एयर डिलीवरी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उसके उस अधिनियम में हैं।

[फा. सं. 10/1/2021-ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

उपाबंध क

परीक्षण के परिणाम रिपोर्ट करने के लिए प्ररूप

परीक्षण रिपोर्ट सं. **परीक्षण की तारीख:**

1. **बिजली के छत पंखे का ब्यौरा:**

(i) विनिर्माता का नाम और ब्रांड नाम:

(ii) पंखे की क्रम संख्या: संख्या:

(iii) रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज:

(iv) मॉडल नाम/ संख्या: (यदि लागू हो)

(v) मोटर प्रकार (इंडक्शन/बीएलडीसी):

(vi) स्वीप आकार (एमएम):

(vii) पावर इनपुट (वाट):

(viii) एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट):

(ix) सर्विस वैल्यू (घन मीटर/मिनट/वाट):

(x) विद्युत कारक:

2. परीक्षण सारांश:

(i) प्रत्येक परीक्षण प्रकार के लिए इस पृष्ठ की, यथा लागू, एक अलग प्रति पूर्ण करें:

(ii) विनिर्माता/प्रयोगशाला का नाम:

(iii) परीक्षण प्रयोगशाला का पता:

(iv) नमूना की प्राप्ति की तारीख:

(v) परीक्षण किए जाने की तारीख:

(vi) परीक्षण करने वाले कार्मिक का नाम:

(vii) परीक्षण का स्वरूप और सुसंगत मानकों के अनुसार संचालित परीक्षण का ब्यौरा:

(viii) समय-समय पर यथा संशोधित आईएस 374:2019 के खंड 14.2 के अनुसार परीक्षण की सामान्य दशाएं:

(ix) अवलोकन और परीक्षण परिणाम:

क्र. सं.	**परीक्षण मानदंड और सुसंगत इकाइयां**	**मापित मूल्य**	**रेटेड/घोषित मूल्य (मानकों के अनुसार सहनशीलता, यदि कोई हो, के प्रयोग के पश्चात)**	**सुसंगत परीक्षण मानक**
1	विद्युत इनपुट (वाट)			समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय मानक 374: 2019 बिजली के छत पंखे – विनिर्देशन
2	हवा देना (घन मी./मि.)			
3	सर्विस वैल्यू (घन मी./मि./वाट)			
4	विद्युत कारक			

टिप्पण : पूर्वोक्त परीक्षण परिणामों को मॉडल के दो नमूनों के लिए प्रस्तुत किया जाना है ।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2024

S.O. 246(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a), (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Power, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 2210(E) dated the 12th May, 2022 and vide number S.O. 2211(E) dated 12th May, 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies, the following energy consumption standards for electric ceiling type fan and specify the such equipment or appliance of class of equipments or appliances, as the case may be, namely:-

A. The energy consumption standards for star labelled electric ceiling type fans, namely:-

I. Every electric ceiling type fans operated by induction motors and Brushless Electric Motors of all the standard sweep sizes covered under the scope of IS 374: 2019 as amended from time to time that work on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz, being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India shall,-

(a) meet the safety requirements provided under paragraph 9 of Indian Standard 374:2019 as amended from time to time and amendments referring to paragraph 8 to 32 of Indian Standard 302(Part 2/Sec 80) as amended from time to time;

(b) meet all the performance requirements as specified in Indian Standard 374:2019 as amended from time to time;

(c) either carry Bureau of India Standards certification mark or the manufacturer is certified as per IS/ISO 9000 or above.

II. Star rating or star level plan.- (1) The label to be affixed on each electric ceiling type fan shall display a maximum of five stars with an interval of one star and the fan shall be rated for its performance from star one to star five based on its service value.

(2) Every electric ceiling type fan shall refer to energy consumption standards which meet the performance requirements as laid down in sub-clause (a) of clause I of sub paragraph A.

(3) The star level of the electric ceiling type fan shall be determined as provided in the following Tables, namely:-

(a) For electric ceiling type fans of sweep size greater than or equal to 600 mm and less than or equal to 750 mm, the star level shall be determined using Table 3.1;

Table – 3.1

(Valid from the date of publication to 31st December, 2024)

Star Levels	**Rated Service Value** **(Cubic meter per minute/Watt)**
1 Star*	≥ 1.5 to < 2.0
2 Star**	≥ 2.0 to < 2.5
3 Star***	≥ 2.5 to < 3.0
4 Star****	≥ 3.0 to < 3.5
5 Star*****	≥ 3.5

(b) For electric ceiling type fans of sweep size greater than 750 mm and less than or equal to 1050 mm, the star level shall be determined using Table 3.2;

Table 3.2

(Valid from the date of publication to 31st December, 2024)

Star Levels	**Rated Service Value** **(Cubic meter per minute/Watt)**
1 Star*	≥ 3.1 to < 3.6
2 Star**	≥ 3.6 to < 4.1
3 Star***	≥ 4.1 to < 4.6
4 Star****	≥ 4.6 to < 5.1
5 Star*****	≥ 5.1

(c) For electric ceiling type fans of sweep size greater than 1050 mm and less than or equal to 1500 mm, the star level shall be determined using Table 3.3;

Table 3.3

(Valid from the date of publication to 31st December, 2024)

Star Levels	**Rated Service Value** **(Cubic meter per minute/Watt)**
1 Star*	≥ 4.0 to < 4.5
2 Star**	≥ 4.5 to < 5.0
3 Star***	≥ 5.0 to < 5.5
4 Star****	≥ 5.5 to < 6.0
5 Star*****	≥ 6.0

(4) All the models of electric ceiling type fans approved under S.O. 2210 (E) dated 12th May, 2022 shall remain valid till 31st December, 2024.

(5) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period provided under Table 3.1, Table 3.2 and Table 3.3.

III. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the electric ceiling type fans shall be tested as per the standards given in Table 4.1 shall be used, namely:-

Table 4.1

S. No.	Test parameters	Test Standards
1	Safety Requirements Clause 8 to 32	Indian Standard 302 (Part 2/Sec 80) as amended from time to time
2	Starting characteristics (clause 11)	IS 374:2019 as amended from time to time
3	Interchangeability (clause 12)	
4	Measurement of speed (clause 14.4)	
5	Measurement of power factor and power input (clause 14.5)	
6	Performance Requirements – Air Delivery (clause 15)	
7	Endurance w.r.t. clause 16	

(2) The number of samples shall be two as per paragraph 18 of IS 374:2019 as amended from time to time, if any.

(3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels.

(4) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer while determining the star rating keeping in view the following points for rounding off,-

(a) the values of power consumption (Watts), air delivery (cu m/min), service value (cu m/min/W) shall be rounded off to nearest whole number up to one decimal places;

(b) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per Indian Standard 2:1960 as amended from time to time;

(5) The tolerance limits for power factor and fan speed shall be as per sub-paragraph 15.2 of IS 374: 2019 as amended from time to time and the tolerance on power input shall be as per sub-paragraph 10.1 of IS 302-2-80 as amended from time to time.

IV. Test report.–The results of the sample tested shall be reported on the provided format given in Annexure A.

B. The electric ceiling type fans up to and including 250V, 50Hz for household and similar purposes with all sweep sizes from 600 mm and up to and including 1500 mm and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022.

2. (1) For the purposes of this notification, the expressions,–

(a) “air delivery” is the quantity of air delivered in a given time under specified conditions. It is expressed in cubic meters per minute;

(b) “electric ceiling type fan” means a propeller-bladed fan, having two or more blades, driven by an electric motor and provided with a device for suspension from the ceiling of a room so that blades rotate in a horizontal plane;

(c) “rated air delivery” is the air delivery of the fan assigned by the manufacturer;

(d) “rated power input” is the power input assigned to the fan by the manufacturer and marked on it and it is expressed in Watts;

(e) “service value” means the air delivery in cubic meters per minute divided by the electrical power input to the fan in watts at the voltage and frequency specified for the test.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in Act shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

[F. No. 10/1/2021-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Annexure A

Form for reporting the results of tests

Test Report No. **Date of test:**

1. Details of Electric Ceiling Type Fan:

(i) Manufacturer's name or Brand name:

(ii) Serial No. of the fan:

(iii) Rated voltage or voltage range:

(iv) Model name/number: (if applicable)

(v) Motor Type (Induction /BLDC):

(vi) Sweep Size (mm):

(vii) Power Input (watts):

(viii) Air Delivery (cu m/min):

(ix) Service Value (cu m/min/watts):

(x) Power factor:

2. Test summary:

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable:

(ii) Manufacturer/ Laboratory Name:

(iii) Address of the Test Laboratory:

(iv) Date of receipt of sample:

(v) Date of test conducted:

(vi) Name of Testing Personnel:

(vii) Nature of Test and details of test conducted as per the relevant standards :

(viii) General conditions of tests as per clause 14.2 of IS 374:2019 as amended from time to time

(ix) Observations and Test results:

S.No	Test parameters & relevant units	Measured Values	Rated/Declared Values (after applying tolerances, if any as per standards)	Relevant Test Standard
1	Power Input (Watt)			Indian Standard 374: 2019 as amended from time to time
2	Air Delivery (cu m/min)			
3	Service value (cu m/min/ Watt)			
4	Power factor			Electric Ceiling Type Fans — Specification

Note : Aforementioned test results are to be furnished for two samples of the model.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.01.18 22:18:08 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052022-235894
CG-DL-E-19052022-235894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 19, 2022/वैशाख 29, 1944
No. 265]	NEW DELHI, THURSDAY, MAY 19, 2022/VAISAKHA 29, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मई, 2022

सं. बीईई/एस एंड एल/सीलिंग फैन/05/2019-20.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित हो सकने वाले संभावित व्यक्तियों से राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करते हुए, तारीख 2 जुलाई, 2021 की अधिसूचना संख्या बीईई/एस एंड एल/सीलिंग फैन/05/2019-20 द्वारा विनियम, अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2021 का प्रारूप प्रकाशित किया गया था;

और उक्त विनियमों की राजपत्र प्रतियां उक्त राजपत्र में 2 जुलाई, 2021 को प्रकाशित की गई थी;

और जबकि उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में पूर्वोक्त अवधि के भीतर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1)** इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचित उपकरण अभिप्रेत है;

(ग) "फैमिली ऑफ मॉडल्स" से उन माडलों का समूह अभिप्रेत है जिसके लिए सभी निष्पादन मानदंड समान हों;

(घ) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "लेबल" से इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर चिपकायी हुई अथवा प्रकाशित कोई लिखित, मुद्रित, मार्क्ड, स्टैंप्ड अथवा ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;

(च) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक के अधीन सेवा मान की वैधता अवधि अभिप्रेत है और यदि सेवा मान की समाप्ति अवधि निर्दिष्ट नहीं है, तो इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सेवा मान निर्दिष्ट नहीं किया जाता;

(छ) "अनुज्ञापत्रधारी" से वह व्यक्ति अथवा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने हेतु परमिट प्रदान किया गया है;

(ज) "अनुसूची" से इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित सेवा मान के आधार पर इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है;

(ञ) किसी भी इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के संबंध में "व्यापारी या विक्रेता" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे पंखों का विक्रय अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और अनुज्ञापत्रधारी शामिल हैं जिन्हें ऐसे इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल चिपकाने की अनुमति दी गई है।

(2) ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां प्रयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उनके लिए दिया गया है।

3. लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण- (1) प्रत्येक इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर, इसके लेबल पर निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिन्ह;

(ख) निर्माता अथवा आयातक और ब्रांड का नाम;

(ग) व्यापार का नाम और संख्या;

(घ) मॉडल और विनिर्माण अथवा आयात का वर्ष;

(ङ) यूनीक सीरीज़ कोड;

(च) पावर इनपुट वाट में;

(छ) एयर डिलिवरी घन मीटर/मिनट में;

(ज) सेवा मान घन मीटर/मिनट/वाट में;

(झ) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन का स्टार लेवल; और

(ञ) लेबल अवधि;

(2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और सामग्री इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी।

4. लेबल प्रदर्शित करने के लिए समय सीमा - (1) प्रत्येक इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छ: मास की अवधि के भीतर विनियम **3** में विनिर्दिष्ट समस्त विवरण सहित एक लेबल प्रदर्शित किया जाएगा।

(2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) विक्रय के लिए रखे गए इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के साथ समकालिक करते हुए संशोधित स्टार लेवल और संशोधित लेबल अवधि प्रदर्शित किए जाएंगे और इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन का विनिर्माण वर्ष भी ऐसे संशोधित ऊर्जा खपत मानकों के समकालिक होगा, और पिछले ऊर्जा खपत मानकों वाले इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन का उत्पादन नहीं किया जाएगा;

(ख) इन विनियमों के अधीन, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं की जागरूकता, उनकी शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रचार सहित सभी प्रारंभिक कदम सुनियोजित होंगे और अग्रिम रूप से ऐसे आरंभ की तारीख से तीन मास पूर्व उठाए जाएंगे।

5. **लेबल प्रदर्शन की रीति** - (1) प्रत्येक इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर एक लेबल होगा जो विक्रय स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और ऐसा लेबल इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर निम्नलिखित तरीके से चिपकाया जाएगा, अर्थात्: -

(क) पैकेजिंग पर चिपकाया हुआ सेल्फ-एड्हेसिव अथवा प्रिंटेड लेबल;

(ख) मोटर पर चिपकाया हुआ सेल्फ-एड्हेसिव लेबल;

6. **लेबल प्रदर्शन की अनुमति** - (1) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर कोई भी स्टार लेबल ब्यूरो की पूर्वानुमति प्राप्त किए बिना नहीं लगाया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन ब्यूरो की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से, रजिस्ट्री के लिए, प्ररूप I में यथानिर्दिष्ट प्रत्येक ब्रांड के लिए पृथक रूप से, ऑनलाइन अथवा भुगतान के किसी अन्य स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देय एक लाख रुपये की लेबल प्रतिभूति जमा के साथ, आवेदन किया जाएगा:

परन्तु कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल प्रतिभूति जमा केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।

(3) उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न करना होगा —

(क) ऑनलाइन अथवा भुगतान के किसी अन्य स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देय, दो हजार रुपए प्रति मॉडल का आवेदन शुल्क;

(ख) प्ररूप II में निर्दिष्ट दस्तावेज।

7. **अनुमति प्रदान करना** -(1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि उसमें सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से मानक एवं लेबलिंग संबंधी अपने संचालन मैनुअल में यथानिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे निबंधन एवं शर्तों के अधीन हो सकता है जो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट की गई हैं, -

(क) ब्रांड को प्ररूप III में अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत करे; अथवा

(ख) प्ररूप IV में अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल चिपकाने के लिए अनुमति प्रदान करे।

(2) ब्यूरो प्ररूप V में एक रजिस्टर रखेगा और इसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन इस प्रकार प्रदान की गई अनुमति उस अवधि के लिए वैध रहेगी जब तक कि अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार लेवल लागू रहता है।

(4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अनुमति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति से छः मास पूर्व किया जा सकता है और इसके साथ ऑनलाइन अथवा भुगतान के किसी अन्य स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देय एक हजार रुपये का शुल्क संलग्न किया जाएगा:

परन्तु नवीनीकरण का कोई आवेदन, यदि इसकी समाप्ति से एक मास पूर्व किया जाता है, तो इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) वैधता अवधि की समाप्ति के बाद किसी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसे मामले में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन करना होगा।

(6) उपविनियम (4) के अधीन नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और संतुष्ट होने के बाद कि सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्ररूप IV में अनुमति का नवीकरण कर सकता है।

(7) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी जो इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के मौजूदा मॉडल पर संशोधित स्टार लेवल के लागू होने की तारीख से लेबल चिपकाना जारी रखना चाहता है, वह केवल प्ररूप VI में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।

(8) यदि संशोधित स्टार लेवल के साथ समक्रमिक करते हुए इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के नए मॉडल को शुरू करने की योजना है तो, अनुज्ञापत्रधारी को लेबल चिपकाने के लिए नए सिरे से अनुमति लेनी होगी, ऐसी अनुमति के लिए आवेदन अग्रिम रूप से संशोधित स्टार लेवल के लागू होने से छः मास पूर्व करना होगा।

8. लेबल पर विवरण के प्रदर्शन के लिए निबंधन एवं शर्तें – प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता,-

(क) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए ऊर्जा खपत मानकों का पालन करेगा;

(ख) केवल इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के ऐसे मॉडलों पर ही लेबल चिपकाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर लेबल चिपकाएगा;

(घ) सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल सदैव अनुरक्षित किया जाएगा;

(ङ) विनियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति से अगले मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबलीकृत उपकरणों के उत्पादन और उपार्जित लेबलिंग शुल्क के ब्यौरे दिए गए हों;

(छ) ब्यूरो को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने लेबलीकृत उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की अद्यतन सूची प्रस्तुत करेगा;

(ज) ब्यूरो के मानकों एवं लेबलिंग संबंधी प्रचालन मैनुअल में निहित निबंधन एवं शर्तों सहित ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेगा।

9. लेबल शुल्क - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए एक रुपए के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर किया जाएगा:

परन्तु ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क के भुगतान में विफल रहने पर, ब्यूरो, देय राशि की, विनियम 6 के उपविनियम (2) के अधीन भुगतान किए गए लेबल प्रतिभूति जमा से, उस पर दस प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वसूली करेगा और यदि प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर संपूर्ण लेबलिंग शुल्क वसूल नहीं कर लिया जाता तो, ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को प्रदान किए गए लेबलों को रद्द कर देगा और उसका नाम राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में चूककर्ता के रूप में प्रकाशित करेगा।

10. लेबल प्रतिभूति जमा की वापसी – विनियम 9 के उपविनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी, इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन का विनिर्माण बंद करने पर, लेबल सुरक्षा जमा की वापसी का पात्र होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन - (1) ब्यूरो या इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी द्वारा, स्वत: संज्ञान लेते हुए अथवा कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन स्टार लेवल और उसके लेबल पर प्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और वह अनुमति के अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करता है, इसका सत्यापन किया जा सकता है।

(2) सत्यापन के प्रयोजनार्थ, ब्यूरो या इसकी नामनिर्दिष्ट एजेंसी, जैसा उचित समझे, विनिर्माण सुविधा, गोदाम या खुदरा आउटलेट से क्रमरहित रूप से नमूने उठा सकती है।

(3) जहां ब्यूरो के लिए, उपविनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला में इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे के आपत्ति परीक्षण द्वारा सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, -

(क) ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को ऐसा परीक्षण करने के लिए एक नोटिस जारी करेगा और शिकायतकर्ता को ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर, परीक्षण, परिवहन तथा अन्य प्रासंगिक व्ययों से संबंधित ऐसे व्ययों को ब्यूरो के पास जमा करने को कहा जाएगा;

(ख) यदि आपत्ति परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना विफल हो जाता है, तो अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण शुल्क संबंधी सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति करेगा और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उक्त व्यय वापस लौटाएगा; और

(ग) जहां उपकरण आपत्ति परीक्षण में पास हो जाता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किया गया व्यय जब्त कर लिया जाएगा।

(4) जहां, उपविनियम (1) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर, यदि अनुज्ञापत्रधारी ऐसे समय के भीतर उपविनियम (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे व्ययों को जमा करने में विफल रहता है, तो ब्यूरो-

(i) उपविनियम (3) में संदर्भित इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन का आपत्ति परीक्षण करते हुए सत्यापन जारी रखेगा; और

(ii) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया ऐसे व्ययों के जमा किए जाने तक आस्थगित रखी जाएगी।

(5) जहां स्वत: संज्ञान द्वारा परीक्षण अथवा आपत्ति परीक्षण के दौरान परीक्षण के लिए प्रयोग किए गए इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के नमूने परीक्षण में विफल हो जाते हैं, तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को एक और अवसर प्रदान करेगा और ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशाला में पहले परीक्षण में प्रयुक्त इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन की दोगुनी मात्रा पर दूसरा परीक्षण संचालित करेगा।

(6) जहां दूसरा परीक्षण विफल हो जाता है तो, ब्यूरो,-

(क) सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को सूचित करते हुए, प्ररूप VII में अनुज्ञापत्रधारी को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर,-

(i) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन की पैकेजिंग और मोटर पर चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल को सही करे अथवा परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करे;

(ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से समस्त स्टॉक वापस ले; और

(iii) विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विवरणों को बदले;

(ख) दो मास के भीतर किसी राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अथवा जैसे उचित समझें वैसे किसी अन्य रीति से अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम अथवा मॉडल नंबर, प्रतीक चिन्ह एवं अन्य विनिर्देशनों को प्रकाशित करेगा;

(ग) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध आगे अधिनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने हेतु संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को सूचित करेगा।

(7) अनुज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (6) में निर्दिष्ट दो मास की अवधि समाप्त होने के दस दिन के भीतर,-

(क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में ब्यूरो को प्ररूप VIII में अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा; और

(ख) यदि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती अथवा किसी निदेश का अनुपालन किए बिना प्राप्त होती है तो, इसे जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया माना जाएगा और ब्यूरो द्वारा इसके लिए आदेश पारित किया जाएगा।

(8) ब्यूरो उप-विनियम (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट की प्रति और खंड (ख) में पारित आदेशों की प्रति आवश्यक दस्तावेजों सहित अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और कथित उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों पर अमल करने के उद्देश्य से सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को भेजेगा।

(9) जहां अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (6) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहता है तो, ब्यूरो सभी राज्य नामित अभिकरणों को सूचित करते हुए-

(क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को प्रदान की गई अनुमति वापस ले लेगा;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए, अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा खपत मानकों, उपविनियम (7) के खंड (क) में निर्दिष्ट ब्यूरो के निदेशों के पालन में अनुज्ञापत्रधारी की विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगा;

(ग) दो मास के भीतर किसी राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में और किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में अथवा जैसे उचित समझें वैसे किसी अन्य रीति से अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम अथवा मॉडल नंबर, प्रतीक चिन्ह एवं अन्य विनिर्देशों को प्रकाशित करेगा;

(घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध आगे अधिनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने हेतु संबंधित राज्य नामित अभिकरण को सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा रद्द करना – ब्यूरो विनियम 7 के अधीन प्रदान की गई अनुमति रद्द कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी —

(क) विनियम 8 के अधीन निर्दिष्ट किन्हीं निबंधन एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहता है;

(ख) विनियम 9 के अधीन निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहता है;

परंतु यह कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर दिए बिना कोई अनुमति रद्द नही की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन III/4/असा./85/2022-23]

अनुसूची

[विनियम 3 का उप-विनियम (2) देखें]

इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबलों पर प्रदर्शित किए जाने वाले विवरण।

1. लेबल की डिजाइन

(i) आयाम:

(क) पैकेजिंग पर चिपकाए जाने वाले लेबल का आयाम:

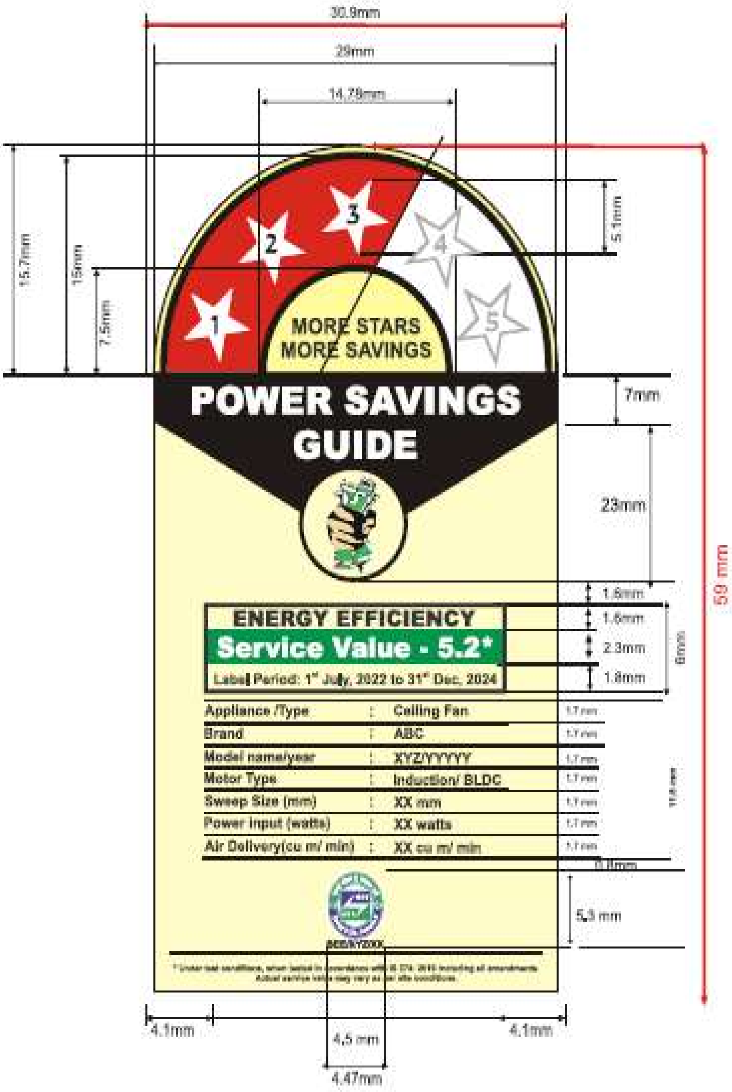

(ख) सीलिंग फैन मोटर पर चिपकाए जाने वाले लेबल का आयाम:

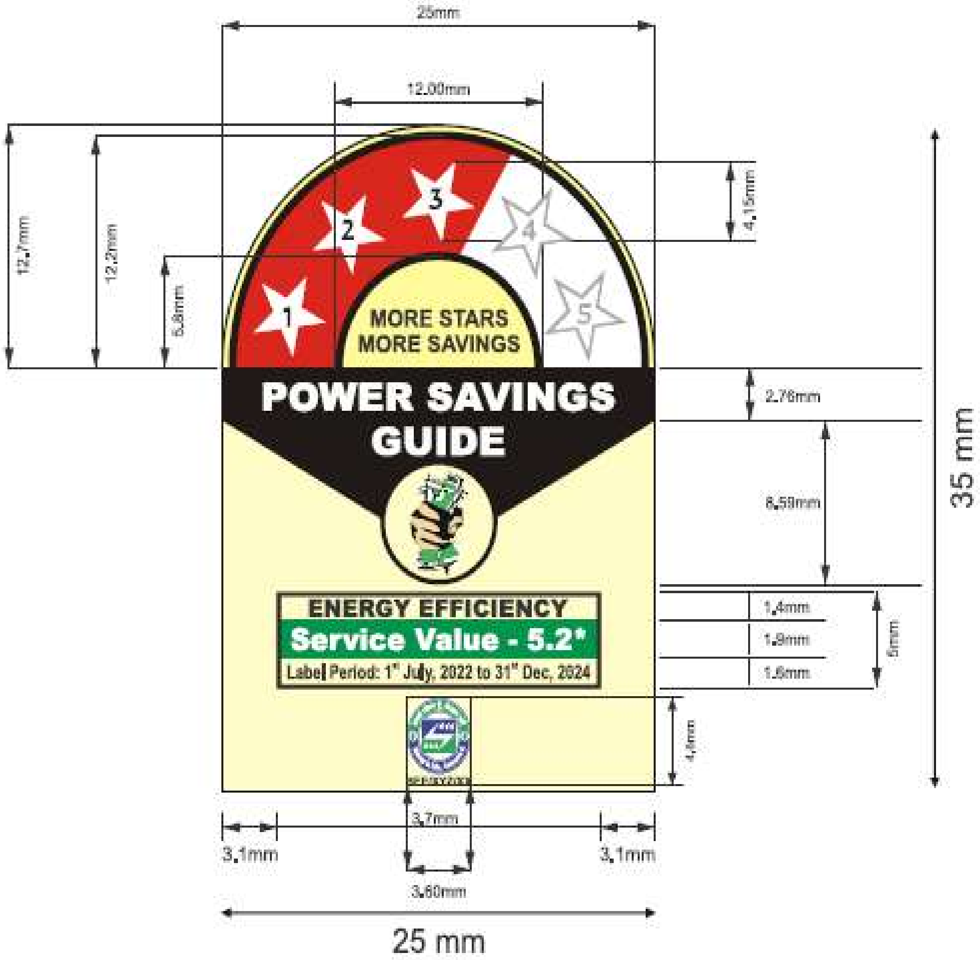

(ii) लेबल के लिए कलर स्कीम :

नेवी ब्ल्यू – सी: 97, एम:95 , वाई:6 , के:1

हरा – सी: 81 , एम: 10 , वाई:90 , के:1

टिप्पणी: ब्यूरो के प्रतीक चिन्ह का अधोभाग और स्टार फिलर केवल हरे रंग में और सभी फॉन्ट एवं ब्यूरो के प्रतीक चिन्ह का शीर्ष नेवी ब्ल्यू होंगे

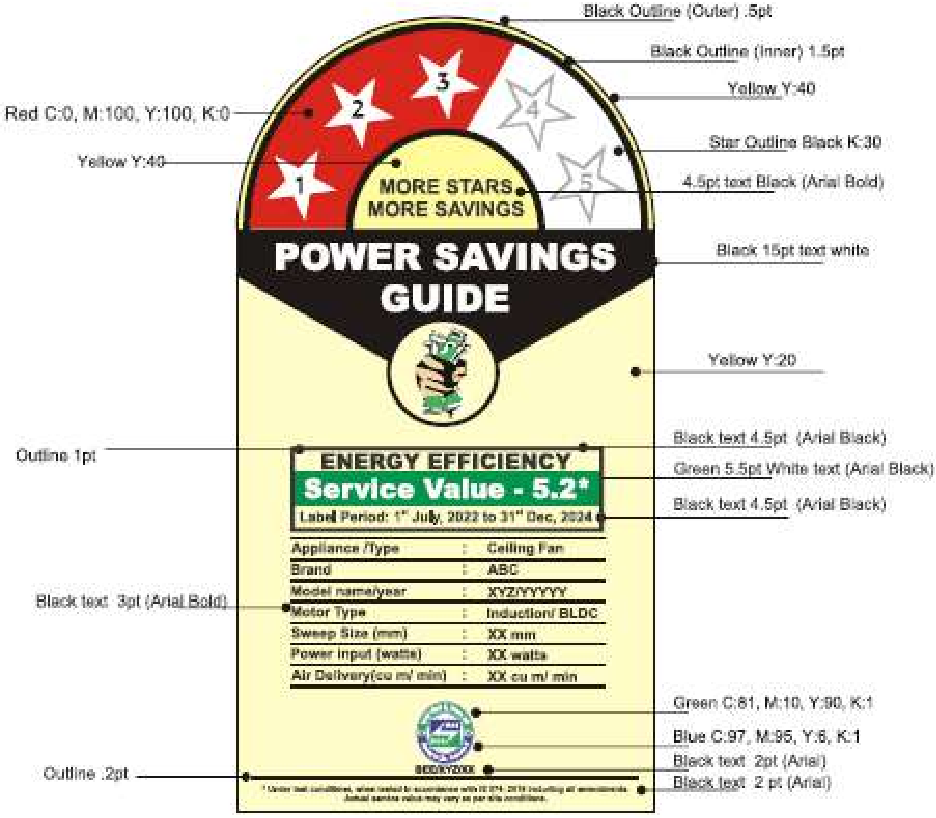

(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के प्रतीक चिन्ह की कलर स्कीम:

नीला –

ह्यू(एच)**-239**º सेचुरेशन(एस)**:64%** ब्राइटनेस(बी)**:59%**

ल्यूमिनेंस अथवा लाइटनेस (एल) **:28,** क्रोमैटिक घटक -ए**:24** बी**:54**

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - **#**363797

हरा -

ह्यू (एच) -150o सेचुरेशन (एस): 10% ब्राइटनेस (बी): 67%

ल्यूमिनेंस अथवा लाइटनेस (एल): 61, क्रोमैटिक घटक-ए:-53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - **#**00एए56**;**

(iv) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए प्रिंटेड लेबल का पूर्ण नमूना:

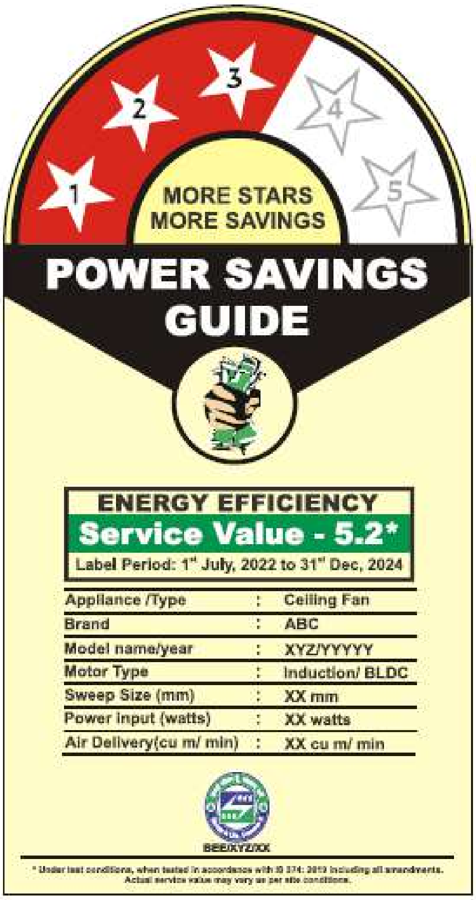

2. लेबल सामग्री

लेबल स्वयं चिपक योग्य होगा और इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखे पर चिपका होगा और लेबल के लिए आयाम डिजाइन स्कीम में दर्शायी गई आउटलाइन में से किसी एक से काट दिया जाएगा।

प्ररूप I

[विनियम 6 का उप-विनियम (2) *देखें*]

(कंपनी के लेटर हेड पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के अधीन इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066

भारत।

1. मैं/हम इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के निर्माता हैं और .... (व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) की स्टाइल के अधीन .... (पूरा व्यावसायिक पता) में कारोबार कर रहे हैं। मैं/हम एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर उनके लेबल के प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथानिर्दिष्ट इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन करता हूं/करते हैं।

2. उपकरणों, कंपनी, विनिर्माण सुविधा तथा भुगतान से संबंधित सूचना के ब्यौरे उपाबंध क-I में दिए गए हैं। फर्म अथवा सोसायटी रजिस्ट्रार/उद्योग निदेशक (लघु यूनिटों के मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र अथवा फर्म तथा इसके विनिर्माण परिसरों के नाम अधिप्रमाणित करते हुए अन्य समान दस्तावेजों की फोटो प्रति संलग्न है।

(क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति:...................................... (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म आदि की ओर से यह आवेदन करने हेतु प्राधिकृत है और इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी की सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा।

(ख) संपर्क व्यक्ति: .... (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के प्रयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम उक्त (क) अथवा (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन से ब्यूरो को अवगत कराने का वचन देता हूं/देते हैं।

3. मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं अनुमान के अनुसार उक्त उपकरणों के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े और उनके मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	**उत्पादन**	**विक्रय**	**उपकरण का एमआरपी (रु.)**
विगत वर्ष .... से ....तक			
चालू वर्ष .... से .... तक (अनुमान)			

4. एक लाख रुपये या पच्चीस हजार रुपये की लेबल प्रतिभूति जमा राशि का भुगतान इंवॉयस संख्या ...... द्वारा ऑनलाइन या किसी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किया गया है (केवल लेबल प्रतिभूति जमा प्रस्तुत करते समय भरा जाना है)।

5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने हेतु सहमत हूं/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने हेतु सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन तथा आपत्ति परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु प्राधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

8. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि यहां दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो; आवेदन को तत्काल रद्द किया जा सकता है।

तारीख

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

…………….……………… की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध क - I

[प्ररूप I का पैरा 2 *देखें*]

1. कंपनी का विवरण

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में संलग्नक: **1.** विनिर्माण अथवा व्यापार परिसर के नाम व पते को अधिप्रमाणित करने वाला दस्तावेज **2.** ट्रेड मार्क प्रमाणपत्र **3.** एसएसआई प्रमाणपत्र, यदि लागू हो **4.** गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली प्रमाणपत्र **5.** प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र **6.** बीआईएस अनुज्ञप्ति, यदि लागू हो **7.** डिमाण्ड ड्राफ्ट (प्रतिभूति जमा)/यदि भुगतान ऑनलाइन किया गया हो तो, भुगतान की रसीद	हां/नहीं

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (यदि एक से अधिक विनिर्माण सुविधाएं हों तो एक अलग सारणी उपलब्ध कराई जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/देश	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

……………..……………… की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप II

[विनियम 6 का उप-विनियम (3) *देखें*]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022 के अधीन इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल चिपकाने की अनुमति हेतु आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

4थी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110066

भारत।

1. मैं/हम ब्रांड नाम …………… (ब्रांड का नाम) के अधीन इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के रजिस्ट्रीकृत निर्माता हूं/हैं और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी यूनीक लेबल सीरीज़ कोड …………… है।
2. उपर्युक्त उपकरण द्वारा ब्रांड नाम ……….. में ………………….(कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित अथवा आयात किया जाता है और ……………………… (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है।
3. उपकरण, परीक्षण उत्पादों के प्रमाणीकरण, लेबल और भुगतान के संबंध में विस्तृत जानकारी उपाबंध क- II में दी गई है और संबंधित फोटोकॉपियां संलग्न हैं।
4. मानकों का अनुपालन : मैं/हम ……………………………………. (उपकरण का नाम) के लिए …………..(अधिसूचना का शीर्षक) संबंधी अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट गुणवत्ता प्रणाली ………………………………………. (मानक का नाम और संख्या) के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करता हूं/करते हैं।

   मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला _________ अथवा स्वतंत्र प्रयोगशाला ________ (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) अथवा इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन (आईएलएसी) अथवा एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रिडिटेशन कोऑपरेशन (एपीएलएसी) अथवा उपकरण की गुणवत्ता के साथ-साथ एस. ओ. ….. में यथानिर्दिष्ट संबंधित भारतीय मानक/अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल आयोग के मानकों के प्रयोजन में अनुरूपता सुनिश्चित करने वाले समकक्ष निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त है।

   प्रयोगशाला के विवरण:

   (क) प्रत्यायन बोर्ड:

   (ख) प्रत्यायन की स्थिति:

   (i) प्रयोगशाला के लिए: (हां/नहीं)

   (ii) परीक्षण मानकों के लिए: (सबंधित उत्पाद मानक का नाम/संख्या निर्दिष्ट करें)

   (ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:

5. (क) दो हजार रुपए ………………… के आवेदन शुल्क का भुगतान तारीख ……………. को ऑनलाइन/इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर दिया गया है।
6. मै/हम ब्यूरो द्वारा यथानिर्दिष्ट 1 रुपया प्रति लेबल के लेबलिंग शुल्क का भुगतान करने हेतु सहमत हूं/हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट समस्त निबंधन एवं शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा कोई जांच किए जाने की स्थिति में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करने हेतु सहमत हूं/हैं।

8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और आपत्ति परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने हेतु सहमत हूं/हैं।

9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि यहां दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो; आवेदन को तत्काल रद्द किया जा सकता है।

तारीख

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

…………..………………… की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध क- II

[प्ररूप II का पैरा 3 *देखें*]

सूचना का विवरण

1. उत्पाद/उपकरण का विवरण

1.1 साधारण (यथालागू विवरण पूरे करें)

उपकरण और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्या
रेटेड वोल्टेज अथवा वोल्टेज रेंज
रेटेड पावर आउटपुट (वाट)
रेटेड एयर डिलिवरी (घन मीटर/मिनट)
रेटेड सर्विस वैल्यू (घन मीटर/मिनट/वाट)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (यथालागू विवरण पूरे करें)

क) परीक्षित मान:

क्र. सं.	मापित मान		रेटेड मान	
1.	मापित पावर इनपुट (वाट)		रेटेड पावर इनपुट (वाट)	
2.	मापित एयर डिलिवरी (घन मीटर/मिनट)		रेटेड एयर डिलिवरी (घन मीटर/मिनट)	
3.	मापित सर्विस वैल्यू (घन मीटर/मिनट/वाट)		रेटेड सर्विस वैल्यू (घन मीटर/मिनट/वाट)	

2. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन प्रास्थिति **(i)** प्रयोगशाला के लिए **(ii)** सुसंगत मानकों के लिए (प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	हां/नहीं
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेब साइट	

3. लेबल लगाने से संबंधित सूचना

आरंभ होने की तारीख	
बीईई के लिए आवेदित लेबलों की संख्या पहले वर्ष के लिए – दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए -	
उत्पाद क्रम संख्या	____________ से ____________ तक

4. मॉडल के ब्यौरे:

मॉडल	**मॉडल का नाम/मॉडल संख्या**

5. इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दर्शाया गया है:

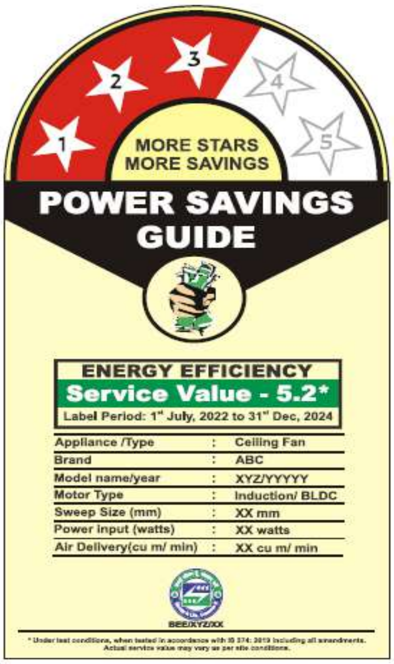

तारीख

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

.... की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप III

[विनियम 7 के उपविनियम (1) का खंड (क) *देखें*]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के अधीन इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुमति

नई दिल्ली, तारीख ....

प्रति

....

....

....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध क-III में उपवर्णित अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार अपने ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण की अनुमति देता है।

2. यह अनुमति निम्निलिखित के अधीन है—

(क) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए ऊर्जा खपत मानकों तथा पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधन और शर्तों के अनुरूप होगा।

(ख) यह लेबल केवल इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के उस मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर यह लेबल अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर छपवाया और चिपकाया जाएगा।

(घ) अनुज्ञापत्रधारी सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर प्रदर्शित स्टार लेवल हमेशा बनाए रखा जाएगा;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को लेबल लगाए गए उपकरण के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए उपार्जित लेबलिंग शुल्क के ब्यौरे का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। इन ब्यौरों को ब्यूरो को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी जिस इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, उसके बारे में ब्यूरो द्वारा मांगे गए अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा।

3. अनुज्ञापत्रधारी विधिमान्य अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय रजिस्ट्रीकृत ब्रांड ...... और इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन को बाजार से वापस नहीं लेगा।

4. इस ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दिया गया विशिष्ट लेबल श्रृखंला कोड .... है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दर्शाया जाना चाहिए।

5. .... को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीखी ......दिन .....मास ......वर्ष

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क- III

[प्ररूप III पैरा 1 *देखें*]

अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
दूरभाष संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेब साइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:

3. विशिष्ट श्रृंखला कोड:

4. अन्य ब्यौरे (यदि लागू हो):

तारीख ……….

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप IV

[विनियम 7 के उपविनियम (1) का खंड (ख) और उपविनियम (6) *देखें*]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के अधीन इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल चिपकाने हेतु अनुमति/अनुमति का नवीकरण

नई दिल्ली, तारीख ………………

प्रति

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध क - IV में उपवर्णित अनुमोदन के ब्यौरों के अनुसार मुहर लगाने और छपवाने या लेबल चिपकाने की अनुमति देता है।

2. यह अनुमति निम्निलिखित के अधीन है—

(क) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए ऊर्जा खपत मानकों तथा पूर्वोक्त विनियमों में उपबंधित निबंधन और शर्तों के अनुरूप होगा।

(ख) यह लेबल केवल इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के ऐसे मॉडल पर ही चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर यह लेबल अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर छपवाया और चिपकाया जाएगा।

(घ) अनुज्ञापत्रधारी सुनिश्चित करेगा कि इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन पर प्रदर्शित स्टार लेवल हमेशा बनाए रखा जाएगा;

(ङ) अनुज्ञापत्रधारी 1 रुपया प्रति लेबल के लेबल शुल्क का भुगतान करेगा;

(च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को लेबल लगाए गए उपकरण के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए उपार्जित लेबलिंग शुल्क के ब्यौरे का एक विवरण प्रस्तुत करेगा। इन्हीं ब्यौरों को ब्यूरो को ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा;

(छ) अनुज्ञापत्रधारी को जिस इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन के लिए अनुमति प्रदान की गई है, उसके बारे में ब्यूरो द्वारा मांगे गए अन्य ब्यौरे उपलब्ध कराएगा।

3. यह अनुमति .... से .... तक विधिमान्य रहेगी और यथाविहित नवीकृत की जा सकती है। अनुज्ञापत्रधारी विधिमान्य अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के सिवाय इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप फैन को बाजार से वापस नहीं लेगा।

4. .... को हस्ताक्षरित, मुहरबंद और तारीखी ......दिन ......मास ......वर्ष

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क-IV

[प्ररूप IV का पैरा 1 देखें]

अनुमोदन के ब्यौरे

1. **उपकरण के ब्यौरे**

(क) ब्रांड:

(ख) मॉडल ब्यौरे:

मॉडल	**मॉडल नाम**	**मॉडल संख्या**

(ग) तकनीकी विनिर्देश:

क्र.सं.	माप मूल्य		रेटेड मान	
	पावर इनपुट (वाट)		पावर इनपुट (वाट)	
	एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट)		एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट)	
	सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट)		सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट)	

2. **लेबल ब्यौरे**

उपकरण और प्रकार	
निर्माता/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और निर्माण का वर्ष	
स्टार लेबल	
पावर इनपुट (वाट)	
एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट)	
सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट)	
लेबल अवधि	
विशिष्ट श्रृंखला कोड	

3. आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री इस विनियम की अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट होगी।

4. ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल के नमूने को नीचे दर्शाए अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर चिपकाया जाएगा (संबंधित मॉडल के लिए अलग नमूने उपाबंध हैं)

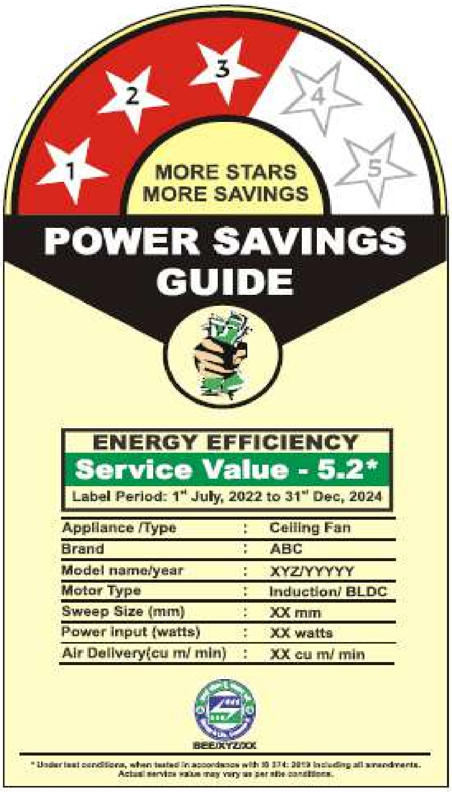

पत्र में उपबंधित किए गए विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड का उल्लेख इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लगे लेबल में किया जाएगा।

तारीख ....

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप V

[विनियम 7 का उपविनियम (2) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी का रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदन संख्या और अनुमति की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नंबर, ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपकरणों के ब्यौरे जिनके लिए अनुमति दी गई है	घोषित स्टार लेबल या दक्षता लेबल	बीईई अनुमति संख्या और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुमति दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा जमा रकम	द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा जमा रकम (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख:)	आवेदन शुल्क प्राप्त रकम के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख:)
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में लगाए गए लेबलों की संख्या	देय लेबलिंग शुल्क की राशि	प्राप्त रकम के लेबलिंग शुल्क ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (ब्यौरे): तारीख:)	टिप्पणियां
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप VI

[विनियम 7 का उपविनियम (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुमति जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा घोषणा

(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(कॉर्पोरेट निकाय/अनुज्ञापत्रधारी के शीर्ष-पत्र पर)

तारीख:

सेवा में

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110 066
भारत।

विषय: ....से प्रभावी स्टार लेबल के संशोधन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के माध्यम से लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन।

1. मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के विनिर्माता/आयातक हैं जो [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] की शैली के अधीन [पूरा पता सहित कंपनी का नाम] में कारोबार कर रहे हैं, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 में ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल लगाने की अनुमति के लिए आवेदन करते हैं जिसमें...........से स्टार लेबल में संशोधन किया जाएगा।

2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा विनिर्मित या आयात किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) में विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार लेबल के अनुरूप: मैं/हम इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लिए का.आ. संख्या...... तारीख ....में विनिर्दिष्ट सारणी...... के अनुसार सारणी परिवर्तन के अनुरूप सहमति देता हूँ/देते हैं। उपरोक्त उपकरण के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति (जिसे पहले अनुमोदित किया गया था) संलग्न है।

4. इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार लेबल परिवर्तन के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।

5. स्टार लेबल के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल के ब्यौरे

ब्रांड/ मॉडल का नाम - ______________________

विशिष्टियां	**घोषित मूल्य**	
पावर इनपुट (वाट)	--	
एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट)	--	
सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट)	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार लेबल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेबल के अनुसार)

6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार लेबल को [विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूँ/हैं।

7. मैंने उक्त इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग शुल्क जमा कर दिया है।

8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/ हैं।

9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही है, और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

तारीख:

…………दिन……………….. (वर्ष)

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

………………………… की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप VII

[विनियम 11 के उपविनियम (6) देखें]

दूसरे जांच परीक्षण में विफल रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को निर्देश

सेवा में नई दिल्ली, तारीख.....

....

....

....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के नियम 7 के उपबंधों के अनुसार, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र सं. .... तारीख.........के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों के अनुपालन के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

2. ब्यूरो ने इन विनियमों के ...विनियमन के अधीन, आपके प्राधिकृत वितरक, व्यवहारी, फुटकर विक्रेता से एक बीईई स्टार लेबल वाला इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन रु.........के मूल्य पर तारीख..........के चालान सं........... द्वारा खरीदा और मैसर्स द्वारा .... के नमूने के रूप में उठाया गया, जो पूर्वोक्त खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर विनियम 3 के अधीन आपके द्वारा चिपकाए गए लेबल पर प्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी है। मैसर्स......... द्वारा सम्यक रूप से सील किया गया नमूना .... क्रमांक......... सत्यापन एजेंसी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन मैसर्स........ (वितरक, व्यवहारी, फुटकर विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।

3. ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स .... तक पहुँचाया, जो तारीख........ के का.आ. सं.......... के उपाबंध में दिए गए.......प्ररूप के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए तारीख........ के का.आ. सं.......... के पैरा 4 और 5 में दर्शाई गई परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की एक मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला है।

4. विशिष्ट पहचान क्रमांक........ वाले नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन का नमूना ऊर्जा खपत मानक, सेवा मूल्य आदि को पूरा करने में विफल रहा और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल लगाने की अनुमति मांगने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण ब्यौरे के अनुरूप नहीं था। आपको ब्यूरो के तारीख....... के पत्र सं...... के माध्यम से आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर परीक्षा परिणाम भेजे गए थे। आपको राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला मैसर्स .... में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लेने और देखने की भी आवश्यकता थी।

5. हमारी प्राधिकृत एजेंसी मैसर्स........... के माध्यम से दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना लिया गया था और उसे हमारी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला ले जाया गया था, जिसे मैसर्स.............. द्वारा सम्यक रूप से सील किया गया था तथा सत्यापन एजेंसी और साथ ही आपके सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन.............से प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।

6. दूसरी जांच के परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिनकी सम्यक रूप से जांच की गई है तथा इस पर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की मान्यता-प्राप्त प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। दूसरे जांच परीक्षण के गवाह के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे तारीख....के का.आ. सं....में दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों तथा विनिर्मित/आयातित और बाजार में बेचे गए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लगे लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गई अनुमति की निबंधन और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

7. ब्यूरो आपको इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल को ठीक करने या परीक्षण के दौरान पाए गए दोषों और कमियों को दूर करने का निर्देश देता है; ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक को वापस लिया जाए; और विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियों को बदला जाए।

8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर पूर्वोक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो महीने, अर्थात्…….......... की समाप्ति के पश्चात् दस दिनों के भीतर प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है, यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो इन विनियमों के अधीन आगामी कार्रवाई करेगा।

9. ब्यूरो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

1. विफल मॉडल की परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VIII

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 का उपविनियम (7) देखें]

(संगठन के शीर्ष-पत्र पर प्रस्तुत किया जाए)

तारीख:

सेवा में

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110 066 भारत।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 7 के उपबंधो के अनुसार, हमें अर्थात् मैसर्स…………………………………………जो इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के विनिर्माता हैं, को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.........के पत्र सं................. द्वारा स्टार लेबल..................मॉडल नंबर के लिए ऊर्जा की खपत के मानक के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन पर लेबल लगाने की अनुमति दी गई थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) विनियम, 2022 के विनियम 11 के उपविनियम (4) के उपबंधो के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख............ के पत्र सं. ....के अधीन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निर्देश को देखते हुए हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निर्देशित कार्रवाई	**स्थिति**	**की गई कार्रवाई**
(i)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग टाइप फैन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार लेबल को.........(तारीख) से...........स्टार से .... स्टार करके सुधार कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करते हुए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें, और	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियां बदलें।	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं

उपर्युक्त घोषणा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पदनाम ....

.... की ओर से

कंपनी/फर्म आदि का नाम

फर्म/कंपनी की मुहर

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2022

No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2019-20.—Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2021, were published *vide* notification number BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2019-20, dated the 2nd July, 2021 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas Gazette copies of the said draft regulations were published in the aforesaid Gazette on 2nd July, 2021; And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001);

(b) "Electric Ceiling Type Fan" means an appliance notified under Clause (b) of Section 14 of the Act;

(c) "Family of models" means group of models for which all the performance parameters are same;

(d) "Form" means a Form appended to these regulations;

(e) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Electric Ceiling Type Fan;

(f) "label period" means the validity period of the service value under the energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act and in case the end period of the service value is not specified, it shall be deemed to be valid until a service value is specified by the Central Government;

(g) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(h) "Schedule" means the Schedule annexed to these regulations;

(i) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the Electric Ceiling Type Fan based on service value notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;

(j) "trader or seller" in relation to any Electric Ceiling Type Fan means a person who sells or distributes such fans and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such Electric Ceiling Type Fans.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Particulars to be displayed on label.- (1) On every Electric Ceiling Type Fan, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-

(a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;

(b) name of manufacturer or importer and brand;

(c) trade name and number;

(d) model and year of manufacturing or import;

(e) unique series code;

(f) power input in watts ;

(g) air delivery in cu m/min;

(h) service value in cu m/min/Watts;

(i) star level of Electric Ceiling Type Fan ; and

(j) label period;

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.- (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every Electric Ceiling Type fan within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller shall ensure that-

(a) the electric ceiling type fan put on sale shall display revised star level and revised label period synchronizing with the revised energy consumption standards and the manufacturing year of the Electric Ceiling Type fan shall also be in synchronization with such revised energy consumption standards, and shall not produce the Electric Ceiling Type fan with the previous energy consumption standards;

(b) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers and consumers, requisite publicity for their education shall be well planned and taken three months in advance of the date of such commencement, under these regulations.

5. Manner of display of label.- (1) There shall be a label on every electric ceiling type fan which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on the electric ceiling type fan in the following manner, namely:-

(a) Self-adhesive or Printed label affixed on packaging;

(b) Self-adhesive label affixed on motor.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a electric ceiling type fan without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) For the purpose of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application for registration shall be made for every brand separately as specified in Form I, accompanied by a label security deposit of one lakh rupees, payable online or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, label security deposit shall be twenty-five thousand rupees only.

(3) Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable online or by any other acceptable electronic mode of payment;

(b) documents specified in Form II.

7. Grant of permission. -(1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its operation manual on standards and labelling from the date of such receipt, subject to such terms and conditions as are specified in regulation 8, –

(a) register the brand in Form III or in electronic form; or

(b) grant permission for affixing label on electric ceiling type fan in Form IV or in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form V and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act is in force.

(4) An application for renewal of permission may be made by the permittee six months before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable online or by any other acceptable electronic mode of payment:

Provided that no application for renewal shall be allowed if it is made one month before its expiry.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form IV.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the electric ceiling type fan from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form VI.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if a new model of the electric ceiling type fan is planned to be launched synchronising with the revised star level, an application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label.- Every permittee, trader and seller shall,-

(a) comply with the energy consumption standards for electric ceiling type fan notified under clause (a) of section 14 of the Act;

(b) affix label only on such model of electric ceiling type fan for which permission has been granted;

(c) affix label on the electric ceiling type fan at the cost of the permittee;

(d) ensure that the star level displayed on the label of electric ceiling type fan shall be maintained at all time;

(e) pay the label fee as specified in regulation 9;

(f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of closure of each quarter of the financial year;

(g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell its labelled products by 30th day of April of each year;

(h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling.

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of one rupee for each label affixed on the electric ceiling type fan;

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau shall recover the amount due with interest thereon at ten per cent. per annum from the label security deposit paid under sub-regulation (2) of regulation 6 and if complete labelling fees is not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau shall cancel the labels granted to the permittee and publish his name in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security deposit. - Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, the permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture electric ceiling type fan.

11. Verification by Bureau.- (1) The Bureau or its designated agency may, either *suo motu* or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the electric ceiling type fan conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.

(2) For the purposes of verification, the Bureau or its designated agency may pick up samples at random from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

(3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the electric ceiling type fan in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for testing and calibration laboratories,-

(a) the Bureau shall issue a notice to the permittee for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit such expenses related to testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time as may be determined by the Bureau;

(b) if the sample drawn under challenge testing fails, the permittee shall reimburse all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges to the Bureau and the Bureau shall refund the said expenses to the complainant; and

(c) where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.

(4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expenses referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall-

(i) continue the verification by challenge testing the electric ceiling type fan referred to in sub-regulation (3); and

(ii) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expenses are deposited.

(5) Where samples of electric ceiling type fan used for testing fails, the test during *suo motu* testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of electric ceiling type fan used in the first test in an independent test laboratory duly accredited by the National Board of Accreditation for testing and calibration laboratories at the cost of the permittee.

(6) Where the second test fails, the Bureau shall,-

(a) direct the permitte in Form VII, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-

(i) correct the star level displayed on the label affixed on the packaging and motor of electric ceiling type fan or remove the defects and deficiencies found during testing;

(ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and

(iii) change the particulars displayed on advertising material;

(b) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;

(c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

(7) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (6) ,-

(a) send the compliance report in Form VIII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and

(b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed to be non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.

(8) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (7) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.

(9) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (6), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies shall-

(a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

(b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (7) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months, the name of the permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications;

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission. - The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee—

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) fails to comply with the directions issued under regulation 11:

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./85/2022-23]

SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of electric ceiling type fan.

1. Label design

(i) Dimension:

(a) Dimension of the label to be affixed on packaging:

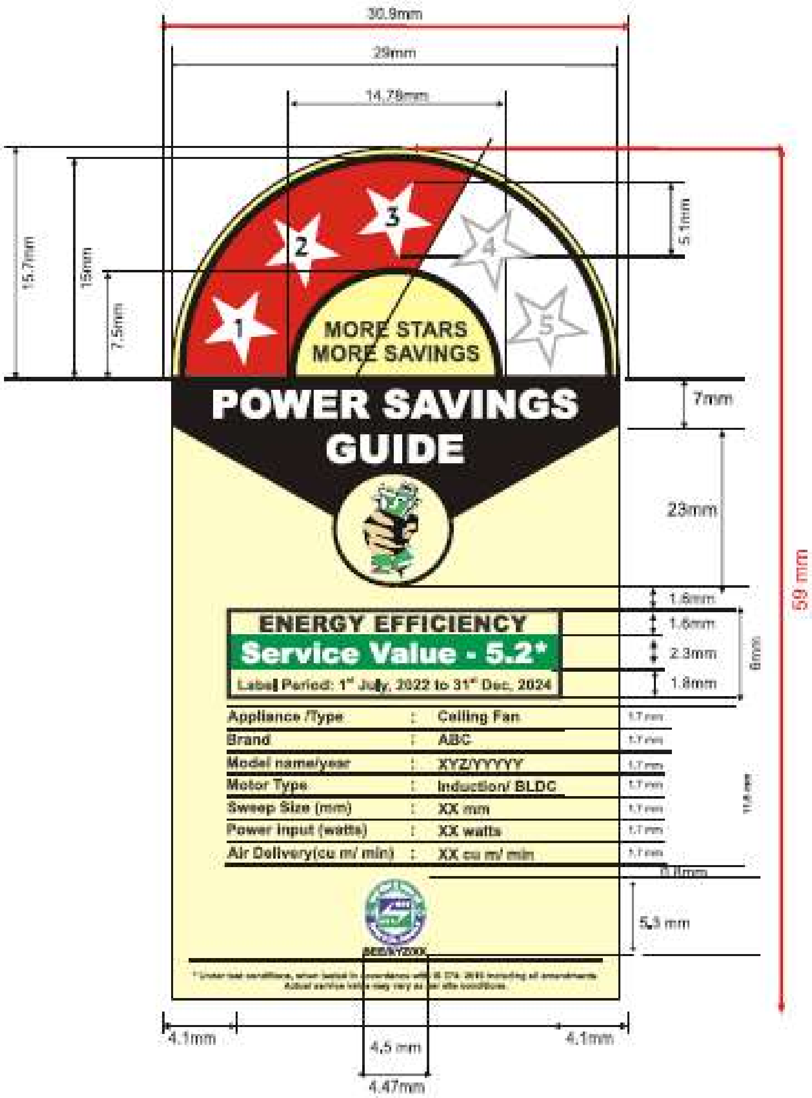

(b) Dimension of the label to be affixed on Ceiling Fan Motor:

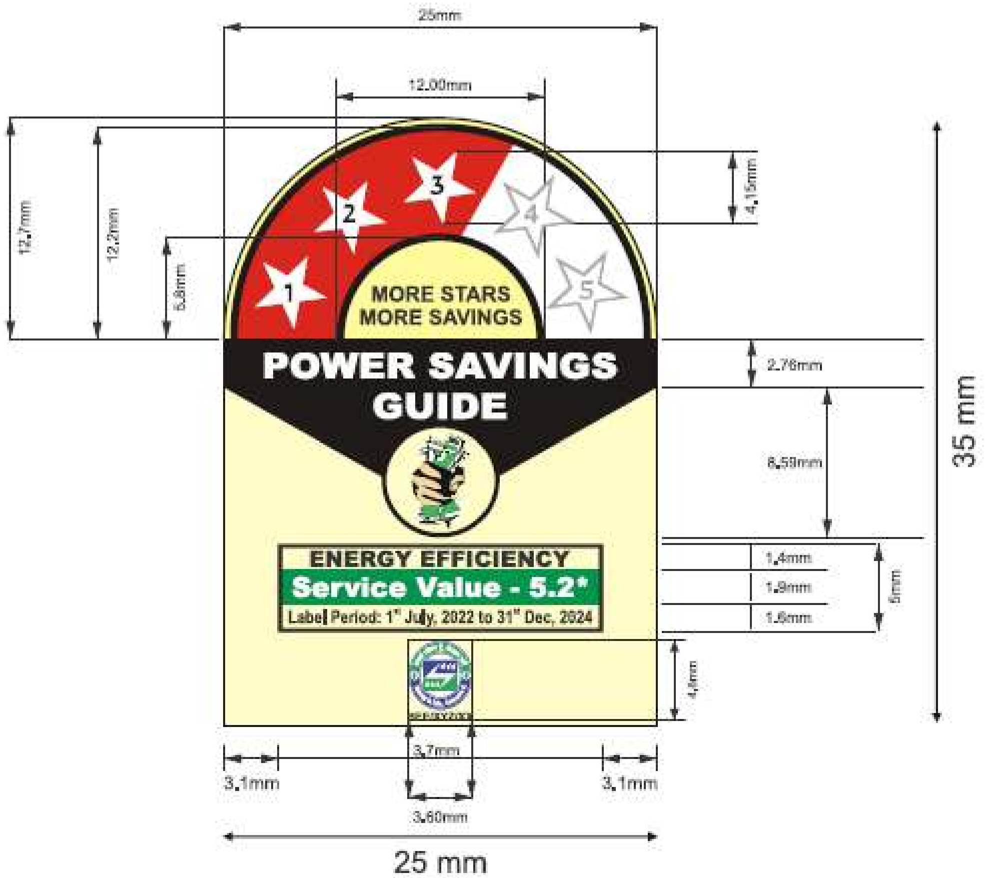

(ii) Colour scheme for the label :

NAVY BLUE – C: 97, M:95 , Y:6 , K:1

GREEN – C: 81 , M: 10 , Y:90 , K:1

Note*: Bottom of Bureau's logo and star filler in* ***GREEN*** *colour only and all fonts and top of Bureau's logo in* ***NAVY BLUE***

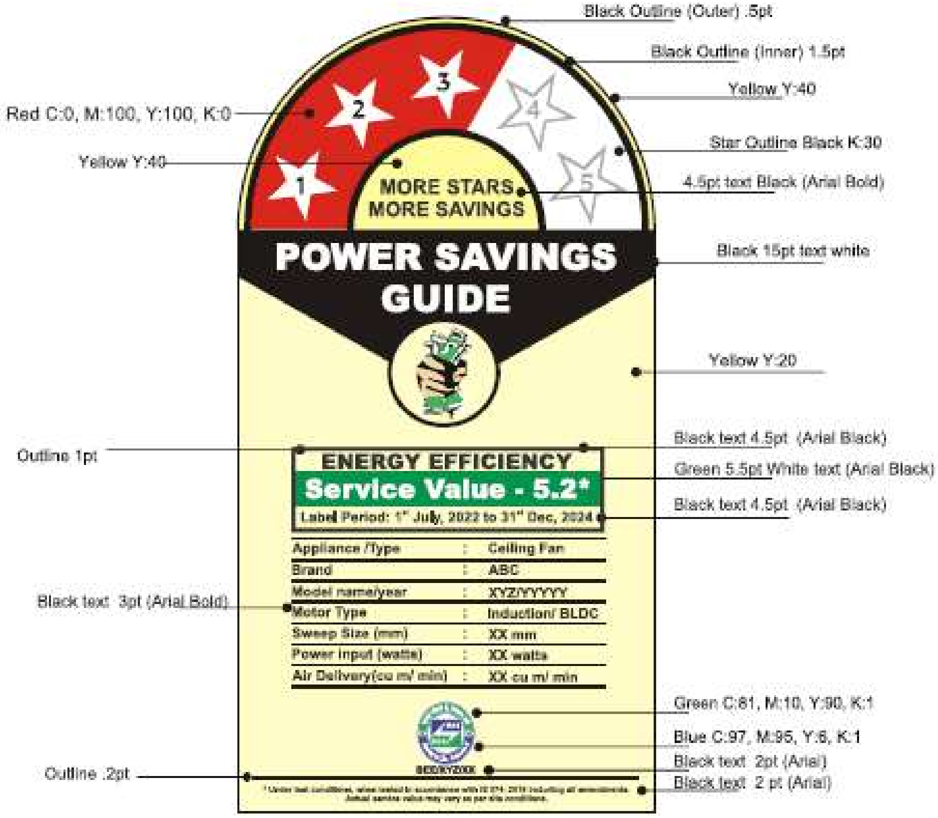

(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56;

(iv) The complete specimen of a printed label for Electric Ceiling Type fan:

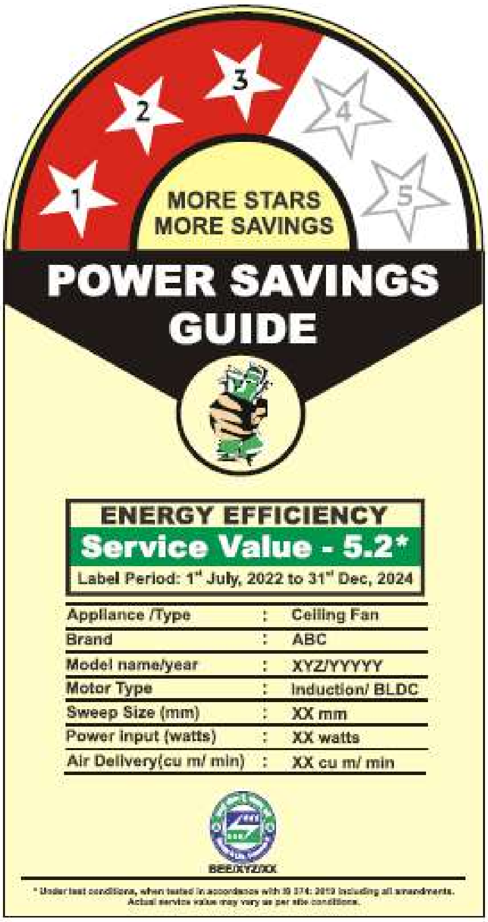

2. Label material

The label shall be self-adhesive and affixed on the Electric Ceiling Type fan and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I

[*See* sub-regulation (2) of regulation 6]

(To be printed in company letter head)

Application for registration of brand of Electric Ceiling Type fan under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi - 110066

India.

1. I/We are the manufacturers of Electric Ceiling Type fan carrying out business at .... (full business address) under the style of .... (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on Electric Ceiling Type fan as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022.

2. The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure A- I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

   (a) Applicant/Authorised person: .... (Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

   (b) Contact Person: .... (Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

   (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.

3. Production and sales figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	**Production**	**Sales**	**MRP of the equipment (Rs.)**
Last Year from.................................... to.. Current Year from............................... to.. (estimate)			

4. A label security deposit of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees has been paid online or through any acceptable electronic mode vide invoice no…… (To be filled only at the time of submission of label security deposit).
5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
7. I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information furnished here is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this ....Day of.......... (Year)

Signature ....

Name ....

Designation ....

For and on behalf of...........................

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A- I

[*See* para 2 of Form I]

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration: 1. Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises 2. Trade Mark Certificate 3. SSI Certificate, if applicable 4. Quality Management System Certificate 5. Authorised Signatory Letter 6. BIS License, if applicable 7. Demand Draft (Security Deposit)/ payment receipt in case payment is made online	Yes/No

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin Code	
State / Country	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature ....

Name ....

Designation ....

For and on behalf of...........................

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM II

[*See* sub-regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Electric Ceiling Type fan under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066

India.

1. I/We are the registered manufacturers of Electric Ceiling Type fan under the brand name …………… (Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is ……………
2. The above equipment is manufactured or imported by ....(Name of the company) in the brand name ……….. and is manufactured at .... (Name and address of the factory).
3. The detailed information in respect of the equipment, certification of test products, labels and payment is given in Annexure A- II and relevant photocopies are enclosed.
4. Conformance to standards : I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards in respect of Quality System (name and number of the standard) .... as specified in the notification on ....(title of the notification) for the .... (name of the equipment).

   I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory ________________ or at independent laboratory ________ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) or International Laboratory Accreditation Cooperation **(**ILAC) or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electro technical Commission standards as specified in S.O……

   Laboratory details:

   (a) Accreditation Board:

   (b) Accreditation status:

   (i) For Laboratory: (Yes/No)

   (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)

   (c) Bureau of Energy Efficiency approval:

5. (a) An application fee of two thousand rupees .... has been paid online on………………/electronic mode.
6. I/We agree to pay the labelling fee of 1 rupee per label as specified by the Bureau.
7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this ....Day of................... (Year)

Signature ....

Name ....

Designation ....

For and on behalf of............................

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A- II

[*See* para 3 of Form II]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Rated voltage or voltage range
Rated Power Input (Watts)
Rated Air Delivery (cu m/min)
Rated Service Value (cu m/min/ Watts)
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

a) Tested Values:

S.No	Measured Values		Rated Values	
1.	Measured Power Input (Watts)		Rated Power Input (Watts)	
2.	Measured Air Delivery (cu m/min)		Rated Air Delivery (cu m/min)	
3.	Measured Service Value (cu m/min/ Watts)		Rated Service Value (cu m/min/ Watts)	

2. Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status (i) For Laboratory (ii) For Relevant standards (Attach copy of the accreditation certificate)	Yes/No
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	

Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	

3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	**From ____________ To ____________**

4. Model Details:

Model	**Model Name/Model Number**

5. Specimen of the label to be affixed on the Electric Ceiling Type fan is shown below:

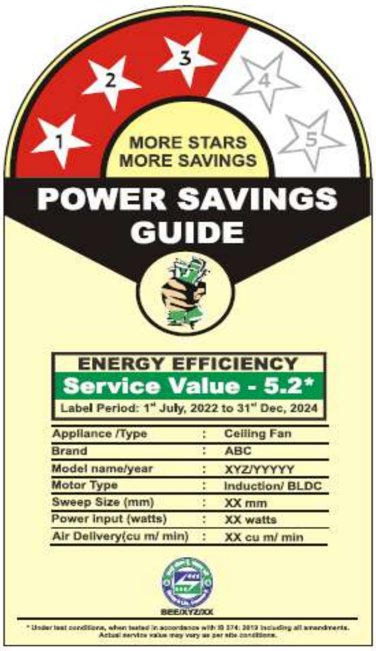

Date :-

Signature ....

Name ....

Designation ....

For and on behalf of...........................

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[*See* clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 7]

Permission for registration of brand of Electric Ceiling Type fan under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022

New Delhi, dated..................

To

....

....

....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in the Annexure A-III to this letter.

2. This permission is subject to—

   (a) the star level displayed on the label of the Electric Ceiling Type fan shall conform to energy consumption standards for Electric Ceiling Type fan notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

   (b) the label shall be affixed only on such model of Electric Ceiling Type fan for which permission has been granted;

   (c) the label shall be printed or affixed on the Electric Ceiling Type fan at the cost of the permittee;

   (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Electric Ceiling Type fan shall be maintained at all time;

   (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;

   (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through online system;

   (g) the permittee shall make available such other details of Electric Ceiling Type fan as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. The permittee shall not withdraw the registered brand………. and the Electric Ceiling Type fan from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is............. and should appear on the label as per the approved design.

5. Signed, sealed and dated this................. day of ....month.............. year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- III

[*See* para 1 of Form III]

Details of Approvals

1. Details of the Company

Name of the Company	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:

3. Unique Series Code:

4. Other details (if applicable):

Date……….

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM IV

[*See* clause (b) of sub-regulation (1) and sub-regulation (6) of regulation 7]

Permission/renewal of permission to affix label on Electric Ceiling Type fan under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022

New Delhi, dated..................

To

....

....

....

1. Pursuant to the provisions of Regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type fan) Regulations, 2022, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure A- IV to this letter.

2. This permission is subject to—

   (a) the star level displayed on the label of the Electric Ceiling Type fan shall conform to energy consumption standards for Electric Ceiling Type fan notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

(b) the label shall be affixed only on such model of Electric Ceiling Type fan for which permission has been granted;

(c) the label shall be printed or affixed on the Electric Ceiling Type fan at the cost of the permittee;

(d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Electric Ceiling Type fan shall be maintained at all time;

(e) the permittee shall pay the label fee of 1 rupee per label;

(f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through online system;

(g) the permittee shall make available such other details of Electric Ceiling Type fan as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.

3. This permission shall be valid with effect from ……….to…………. and may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Electric Ceiling Type fan from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.

4. Signed, sealed and dated this................. day of ....month............. year.

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

Annexure A- IV

[*See* para 1 of Form IV]

Details of Approvals

1. Details of the equipment

(a) Brand:

(b) Model Details:

Model	**Model Name**	**Model Number**

(c) Technical Specification:

Sl.No	Measured Values		Rated Values	
	Power Input (Watts)		Power Input (Watts)	
	Air Delivery (cu m/min)		Air Delivery (cu m/min)	
	Service value (cu m/min/Watts)		Service value (cu m/min/Watts)	

2. Label Details

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model and Year of Manufacturing	
Star level	
Power Input (Watts)	
Air Delivery (cu m/min)	
Service value (cu m/min/Watts)	
Label Period	
Unique Series Code	

3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.

4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Electric Ceiling Type Fan is shown below (Separate specimens for family of models is annexed)

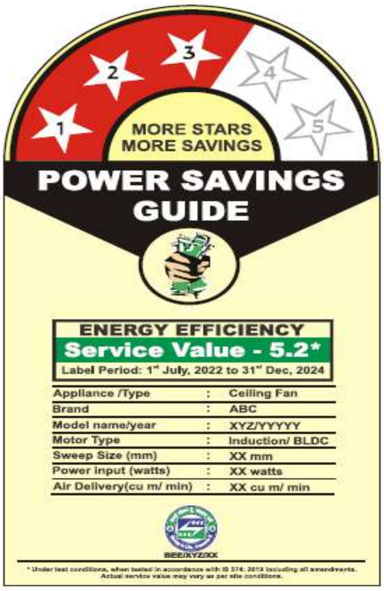

The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Electric Ceiling Type Fan.

Date ....

Yours faithfully,

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM V

[*See* sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittee

S. No.	Application number and date of permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, PhoneNo., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or efficiency level declared	BEE permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of label security deposit	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Application Fees details of Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)
(8)	(9)	(10)

Number of labels affixed at the end of each financial year	Amount of labelling fee due	Labelling fee details of Amount received (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form VI

[*See* sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model

(For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:

To

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,
New Delhi-110 066
India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fan) Regulations, 2022 on revision of star level effective from ……….

1. I/ We are the manufacturers / importers of Electric Ceiling Type Fan carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on Electric Ceiling Type Fan as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fan) Regulations, 2022 which would go for revision of star level with effect from.............

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);

3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLE ......as specified in the S.O. number ....dated........for Electric Ceiling Type Fans. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the Electric Ceiling Type Fans is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Brand/Model Name - ____________________________

Particulars	**Declared Values**	
Power Input (Watts)	--	
Air Delivery (cu m/min)	--	
Service value (cu m/min/Watts)	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.

7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Electric Ceiling Type Fans model.

8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of ……....….....……….. (Year)

Signature ……………………………

Name ………………………………..

Designation ………………………….

For and on behalf of…………………

……………………………………….

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM VII

[*See* sub-regulation (6) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

To New Delhi, dated the…..

....

....

....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fans**) Regulations, 2022 you were permitted to affix label on the Electric Ceiling Type Fans vide Bureau of Energy Efficiency letter No. ....dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation … of these regulations, purchased a BEE star labelled Electric Ceiling Type Fans from your authorised distributor, dealer, retailer vide Invoice number ....dated for a price of Rs................ and lifted as a sample dated ……by M/s....................., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3, affixed by you on the aforesaid purchased Electric Ceiling Type Fans. The sample duly sealed by M/s............... bearing serial number……..was obtained from M/s..........(Name of the distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency transported the sample referred to in para 2 to M/s. ...., a National Board of Accreditation for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of. S.O. number ……dated the ….for giving Test Report in accordance with the form ….given in Annexure to S.O. number ……..dated the ……..

4. The results of the test report of the sample bearing unique identification serial number…….. is enclosed. The results of the test report indicated that the sample of Electric Ceiling Type Fans failed to meet the energy consumption standard, service value, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the Electric Ceiling Type Fans manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau's letter No........dated........in the name of your authorized contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Board of Accreditation for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory M/s...

5. The sample for second check verification test was picked up ….dated the …. through our authorized Agency M/s. ....and transported to the National Board of Accreditation for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory transported by our authorised agency, duly sealed by M/s............... and was given unique identification serial number embossed on the said sample obtained from ....under signatures of the duly authorised representative of the verification agency as well as your representatives.

6. The test results of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Board of Accreditation for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number.…dated, ….and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Electric Ceiling Type Fans manufactured/imported and sold in the market .

7. The Bureau hereby directs you to correct the star level displayed on the label of the Electric Ceiling Type Fans or remove the defects and deficiencies found during testing; withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months, i.e., by ....In case no compliance report is received by the said date, the Bureau shall proceed to take action under these regulations.

9. The Bureau shall take further follow up action in accordance with the provisions of these regulations.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model

2. Correspondence with the manufacture

Form VIII

Action Taken Report

[*See* sub-regulation (7) of regulation 11]

(To be furnished on letter head of the organisation)

To **Date**:

The Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022, we M/s...the manufacturer of Electric Ceiling Type Fans were permitted to affix label on the Electric Ceiling Type Fans conforming to the energy consumption standard of ....star level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.................dated...............for the model number..

Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number....................dated........... to take necessary corrective action. In view of directive issued by the Bureau, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Electric Ceiling Type Fans to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.............star to.......................star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature………………

Name………………….

Designation…………..

For and on behalf of......

Name of the Company/Firm etc

Seal of the Firm/Company

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.05.19 23:14:14 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052022-235745
CG-DL-E-12052022-235745

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2102] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 12, 2022/वैशाख 22, 1944
No. 2102] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 12, 2022/VAISAKHA 22, 1944

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 मई, 2022

का.आ. 2210(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, बिजली के छत के पंखों के लिए निम्नलिखित ऊर्जा खपत मानकों को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्:-

1. आईएस 374 के अधीन आने वाले इंडक्शन मोटरों और सभी स्टैंडर्ड स्वीप आकार की बिनाब्रश वाली इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा संचालित प्रत्येक बिजली के छत के पंखे जो 250वोल्ट, 50 हट्र्ज तक सिंगल फेज अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई से चलते हैं,और जिन्हें भारत में निर्मित किया जा रहा है, व्यावसायिक रूप से खरीदा, आयात किया या बेचा जाता है-

   (क) भारतीय मानक 374 के खंड 9 में विनिर्दिष्ट सुरक्षा आवश्यकताओं और भारतीय मानक 302 के खंड 8 से 32 के संदर्भ में संशोधन (भाग 2/धारा 80);

   (ख) भारतीय मानक 374 में विनिर्दिष्ट सभी प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करना;

   (ग) या तो भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन चिह्न या निर्माता आईएस/आईएसओ 9000 या उससे ऊपर के अनुसार प्रमाणित है।

2. (1) परिभाषाएं: इस अधिसूचना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

   (क) "एयर डिलीवरी" से निर्दिष्ट शर्तों के अधीन एक निश्चित समय में वितरित हवा की मात्रा अभिप्रेत है। इसे घन मीटर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है;

(ख) "छत का पंखा" से एक प्रोपेलर-ब्लेड वाला पंखा अभिप्रेत है, जिसमें दो या दो से अधिक ब्लेड होते हैं, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा चलते हैं और इसमें एक कमरे की छत से सस्पेंशन के लिए एक उपकरण लगा होता है ताकि ब्लेड होरिजोनटल प्लेन में घूमें;

(ग) "रेटेड एयर डिलीवरी" निर्माता द्वारा निर्धारित पंखे की एयर डिलीवरी है;

(घ) "रेटेड पावर इनपुट" निर्माता द्वारा पंखे के लिए निर्धारित बिजली इनपुट है जो उस पर अंकित होती है और इसे वाट में व्यक्त किया जाता है;

(ड.) "सेवा मूल्य" से परीक्षण के लिए निर्दिष्ट वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी पर वाट में पंखे को विद्युत शक्ति इनपुट द्वारा विभाजित प्रति मिनट घन मीटर हवा की डिलीवरी अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त और गैर-परिभाषित, लेकिन भारतीय मानक 302 (भाग 2/धारा 80) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो क्रमशः उन मानकों और भारतीय मानक 374 में दिया जाएगा।

3. स्टार रेटिंग या स्टार लेबल प्लान - (1) प्रत्येक बिजली के छत के पंखे पर लगाया जाने वाला लेबल एक स्टार के अंतराल के साथ अधिकतम पांच स्टार प्रदर्शित करेगा, और पंखे को इसके प्रदर्शन के लिए इसके सेवा मूल्य के आधार पर एक स्टार से पांच स्टार तक रेट किया जाएगा।

(2) प्रत्येक बिजली के छत का पंखा ऊर्जा खपत मानकों को दर्शाएगा जो पैरा 1 के खंड (क) में निर्धारित प्रदर्शन आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(3) बिजली के छत के पंखे का स्टार लेबल निम्नलिखित सारणीओं में निर्दिष्ट अनुसार निर्धारित किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) 1200 मि.मी. से कम के स्वीप आकार के छत के पंखे के लिए, स्टार लेबल सारणी 3.1 का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा:

सारणी 3.1

(1 जुलाई, 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध)

स्टार लेबल	रेटेड सेवा मूल्य (घन मीटर प्रति मिनट/ वाट)
1 स्टार*	≥3.1 से <3.6
2 स्टार **	≥3.6 से <4.1
3 स्टार***	≥4.1 से <4.6
4 स्टार ****	≥4.6 से <5.1
5 स्टार*****	≥5.1

(ख) 1200 मि.मी. से अधिक या उसके बराबर स्वीप आकार के छत के पंखे के लिए, स्टार लेबल सारणी 3.2 का उपयोग करके निर्धारित किया जाएगा:

सारणी 3.2

(1 जुलाई, 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक वैध)

स्टार लेबल	रेटेड सेवा मूल्य (घन मीटर प्रति मिनट/ वाट)
1 स्टार*	≥4.0 से <4.5
2 स्टार**	≥4.5 से <5.0
3 स्टार***	≥5.0 से <5.5
4 स्टार****	≥5.5 से <6.0
5 स्टार*****	≥6.0

(4) सारणी 3.1 और सारणी 3.2 के अधीनविनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले स्टार लेबल की योजना की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद, हर दो साल में स्टार लेबल की योजना की समीक्षा की जाएगी।

4. परीक्षण और सहनीयता- (1) स्टार लेबल के निर्धारण के उद्देश्य से, छत के पंखे का परीक्षण सारणी 4.1 में दिए गए मानकों के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी 4.1

क्र.सं.	परीक्षण मापदंड	परीक्षण मानक
1	सुरक्षा आवश्यकताएं खंड 8 से 32	भारतीय मानक 302 (भाग 2/धारा 80)
2	प्रारंभिक विशेषताएं (खंड 11)	आईएस 374:2019 सभी संशोधनों सहित
3	परस्पर परिवर्तनशीलता (खंड 12)	
4	गति का मापन (खंड 14.4)	
5	पावर फैक्टर और पावर इनपुट का मापन (खंड 14.5)	
6	प्रदर्शन आवश्यकताएँ – एयर डिलीवरी (खंड 15)	
7	खंड 16 के संदर्भ में सहनीयता	

(2) आईएस 374:2019, यदि कोई हो, के खंड 18 के अनुसार नमूनों की संख्या दो होगी।

(3) स्टार रेटिंग लेबल के लिए कोई नकारात्मक सहनीयता नहीं होगी।

(4) निर्माता द्वारा स्टार रेटिंग तय करते समय विनिर्माण सहनीयता और अन्य विविधताओं के कार्यक्षेत्र का निर्धारण निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, -

(क) बिजली की खपत (वाट), वायु डिलीवरी (घन मीटर/मिनट), सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/डब्ल्यू) के मूल्यों को एक दशमलव स्थान तक निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा;

(ख) भारतीय मानक 2:1960 के अनुसार सभी मूल्यों को संबंधित महत्वपूर्ण अंकों में पूर्णांकित किया जाएगा।

(5) पावर फैक्टर और पंखे की गति के लिए सहनीयता सीमा आईएस 374:2019 के खंड 15.2 के अनुसार होगी और बिजली इनपुट पर सहनीयता आईएस 302-2-80 के खंड 10.1 के अनुसार होगी।

5. परीक्षण रिपोर्ट - परीक्षण किए गए नमूने के परिणाम अनुबंध क में दिए गए निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट किए जाएंगे।

उपाबंध क

परीक्षणों के परिणामों की रिपोर्ट करने के लिए प्रपत्र

परीक्षण रिपोर्ट संख्या परीक्षण की तारीख:

1. बिजली के पंखे का विवरण:

(i) निर्माता का नाम या ब्रांड नाम:

(ii) पंखे की क्रम संख्या:

(iii) रेटेड वोल्टेज या वोल्टेज रैंग:

(iv) मॉडल का नाम/ संख्या: (यदि लागू हो)

(v) मोटर का प्रकार (इंडक्शन/ बीएलडीसी):

(vi) स्वीप आकार (मि.मी.):

(vii) पावर इनपुट (वाट):

(viii) एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट):

(ix) सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट):

(x) पॉवर फैक्टर:

(xi) **परीक्षण सारांश:**

(i) प्रत्येक परीक्षण प्रकार के लिए, जैसा लागू हो, इस पृष्ठ की एक अलग प्रति भरें:

(ii) निर्माता/प्रयोगशाला का नाम:

(iii) परीक्षण प्रयोगशाला का पता:

(iv) नमूना प्राप्त करने की तारीख:

(v) आयोजित परीक्षण की तारीख:

(vi) परीक्षण कार्मिक का नाम:

(vii) परीक्षण की प्रकृति और प्रासंगिक मानकों के अनुसार आयोजित परीक्षण का विवरण:

(viii) आईएस 374:2019 के खंड 14.2 के अनुसार परीक्षण की सामान्य शर्तें

(ix) टिप्पणियां और परीक्षण के परिणाम:

क्र.सं.	परीक्षण मापदंड और प्रासंगिक इकाइयां	माप मूल्य	रेटेड/घोषित मूल्य (मानकों के अनुसार सहनीयता लागू करने के बाद, यदि कोई हो)	प्रासंगिक परीक्षण मानक
1	पावर इनपुट (वाट)			भारतीय मानक 374:2019 सभी संशोधनों सहित बिजली के छत के पंखे - विनिर्देश
2	एयर डिलीवरी (घन मीटर/मिनट)			
3	सेवा मूल्य (घन मीटर/मिनट/वाट)			
4	पॉवर फैक्टर			

टिप्पण : उपर्युक्त परीक्षण के परिणाम मॉडल के 2 नमूनों के लिए प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

[फा. सं. 10/1/2021–ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2210(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the following energy consumption standards for electric ceiling type fans, namely:-

1. Every electric ceiling type fans operated by induction motors and Brushless Electric Motors of all the standard sweep sizes covered under the scope of IS 374 that work on single phase alternating current supply up to and including 250V, 50Hz, being manufactured, commercially purchased, imported or sold in India shall-

(a). meet the safety requirements specified in clause 9of Indian Standard 374 and amendments referring to clauses 8 to 32 of the Indian Standard 302 (Part 2/Sec 80);

(b). meet all the performance requirements as specified in Indian Standard 374;

(c). either carry Bureau of India Standards certification mark or the manufacturer is certified as per IS/ISO 9000 or above.

2. (1) Definitions: In this notification, unless the context otherwise requires,-

(a) “air delivery” is the quantity of air delivered in a given time under specified conditions. It is expressed in cubic meters per minute;

(b) “ceiling type fan” means a propeller-bladed fan, having two or more blades, driven by an electric motor and provided with a device for suspension from the ceiling of a room so that blades rotate in a horizontal plane;

(c) “rated air delivery” is the air delivery of the fan assigned by the manufacturer;

(d) “rated power input” is the power input assigned to the fan by the manufacturer and marked on it and it is expressed in Watts;

(e) “service value” means the air delivery in cubic meters per minute divided by the electrical power input to the fan in watts at the voltage and frequency specified for the test.

(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Indian Standard 302 (Part 2/Sec 80) and Indian Standard 374 shall have meaning respectively assigned to them in those Standards.

3. Star rating or star level plan.- (1) The label to be affixed on each electric ceiling type fan shall display a maximum of five stars with an interval of one star, and the fan shall be rated for its performance from star one to star five based on its service value.

(2) Every electric ceiling type fan shall refer to energy consumption standards which meet the performance requirements as laid down in clause (a) of paragraph 1.

(3) The star level of the electric ceiling type fan shall be determined as specified in the following Tables, namely:-

(a) For ceiling fans of sweep size less than 1200 mm, the star level shall be determined using Table 3.1:

Table 3.1

(Valid from the 1st July, 2022 to 31st December, 2024)

Star Levels	**Rated Service Value** **(Cubic meter per minute/Watt)**
1 Star*	≥ 3.1 to < 3.6
2 Star**	≥ 3.6 to < 4.1
3 Star***	≥ 4.1 to < 4.6
4 Star****	≥ 4.6 to < 5.1
5 Star*****	≥ 5.1

(b) For ceiling fans of sweep size greater than or equal to 1200 mm, the star level shall be determined using Table 3.2:

Table 3.2

(Valid from the 1st July, 2022 to 31st December, 2024)

Star Levels	**Rated Service Value** **(Cubic meter per minute/Watt)**
1 Star*	≥ 4.0 to < 4.5
2 Star**	≥ 4.5 to < 5.0
3 Star***	≥ 5.0 to < 5.5
4 Star****	≥ 5.5 to < 6.0
5 Star*****	≥ 6.0

(4) The star level plan shall be reviewed before the expiry of the period specified under Table 3.1 and Table 3.2 and thereafter, the star level plan shall be reviewed every two years.

4. Testing and tolerance.- (1) For the purpose of determining the star level, the ceiling type fans shall be tested as per the standards given in Table 4.1 shall be used, namely:-

Table 4.1

S. No.	**Test parameters**	**Test Standards**
1	Safety Requirements Clause 8 to 32	Indian Standard 302 (Part 2/Sec 80)
2	Starting characteristics (clause 11)	IS 374:2019 with all amendments
3	Interchangeability (clause 12)	
4	Measurement of speed (clause 14.4)	
5	Measurement of power factor and power input (clause 14.5)	
6	Performance Requirements – Air Delivery (clause 15)	
7	Endurance w.r.t. clause 16	

(2) The number of samples shall be two as per clause 18 of IS374:2019, if any.

(3) There shall be no negative tolerance for the star rating levels.

(4) The scope for manufacturing tolerance and other variations shall be accounted by the manufacturer while determining the star rating keeping in view the following points for rounding off,-

(a) the values of power consumption (Watts), air delivery (cu m/min), service value (cu m/min/W) shall be rounded off to nearest whole number upto one decimal places;

(b) all the values shall be rounded off to respective significant figures, as per Indian Standard 2:1960.

(5) The tolerance limits for power factor and fan speed shall be as per clauses 15.2 of IS 374 : 2019 and the tolerance on power input shall be as per clause 10.1 of IS 302-2-80.

5. Test report. –The results of the sample tested shall be reported on the prescribed format given in Annexure A.

Annexure A

Form for reporting the results of tests

Test Report No. **Date of test:**

1. Details of Electric Ceiling Type Fan:

(i) Manufacturer's name or Brand name:

(ii) Serial No. of the fan:

(iii) Rated voltage or voltage rang:

(iv) Model name/number: (if applicable)

(v) Motor Type (Induction /BLDC):

(vi) Sweep Size (mm):

(vii) Power Input (watts):

(viii) Air Delivery (cu m/min):

(ix) Service Value (cu m/min/watts):

(x) Power factor:

(xi) Test summary:

(i) Complete a separate copy of this page for each test type, as applicable:

(ii) Manufacturer/ Laboratory Name:

(iii) Address of the Test Laboratory:

(iv) Date of receipt of sample:

(v) Date of test conducted:

(vi) Name of Testing Personnel:

(vii) Nature of Test and details of test conducted as per the relevant standards:

(viii) General conditions of tests as per clause 14.2 of IS 374:2019

(ix) Observations and Test results:

S.No	**Test parameters and relevant units**	**Measured Values**	**Rated/Declared Values (after applying tolerances, if any as per standards)**	**Relevant Test Standard**
1	Power Input (Watts)			Indian Standard 374: 2019 with all amendments Electric Ceiling Type Fans — Specification
2	Air Delivery (cu m/min)			
3	Service value (cu m/min/ Watts)			
4	Power factor			

Note: Aforementioned test results are to be furnished for 2 samples of the model.

[F. No. 10/1/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली,12 मई, 2022

का.आ. 2211(अ).—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (ख) और (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से एतद्द्वारा 900 मि.मी., 1050 मि.मी., 1200 मि.मी.,1400 मि.मी. और 1500 मि.मी. के केवल मानक स्वीप आकार वाले घरेलू समान प्रयोजनों के लिए 250 वोल्ट, 50 हर्ट्ज तक के बिजली के छत के पंखों को विनिर्दिष्ट करती है और यह निदेश देती है कि ऐसे किसी भी उपकरण या उपकरणों का वर्ग जिसे निर्मित या बेचा या खरीदा जा रहा है या बिक्री के लिए आयात किया जाता है, के लेबल पर विवरण इस तरह से प्रदर्शित किया जाएगा जैसा कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बिजली के छत के पंखों के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022 में विनिर्दिष्ट है।

[फा. सं. 10/1/2021–ईसी]

विवेक कुमार देवांगन, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2022

S.O. 2211(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, hereby specifies the electric ceiling type fans up to and including 250 V, 50 Hz for household similar purposes with only standard sweep sizes of 900 mm, 1050 mm, 1200 mm, 1400 mm and 1500 mm and direct that any such appliances or class of appliances being manufactured or sold or purchased or imported for sale shall display particulars on labels in such manner as specified in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022.

[F. No. 10/1/2021-EC]

VIVEK KUMAR DEWANGAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.